L.B. (I) No. 68 Vol. VIII

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(SEVENTH LOK SABHA)

EIGHTH REPORT

(Presented on 9 May, 1984)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

May, 1984/Vaisakha, 1906 (Saka)

Price: Rs. 4.05

Corrigenda to the Eighth Report of the
Committee of Privileges
(Seventh Lok Sabha)

Page	Line	For	Read
4	1 (from bottom)	12.12.81	15.12.81
5	11	को	तो
7	31	scormful	scornful
12	22	climed	climbed

CONTENTS

	PAGE
1. Personnel of the Committee of Privileges	iii
2. Report	1
3. Minutes of sittings of Committee	19
4. Minutes of evidence	37
5. Appendix	93

730 LS—1.

PERSONNEL OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES*

(1983-84)

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri Buta Singh
4. Shri Chandulal Chandrakar
5. Shri Somnath Chatterjee
6. Shri George Fernandes
7. Shri Indrajit Gupta
8. Shri Ram Jethmalani
9. Shri Jaipal Singh Kashyap
10. Shri Jagan Nath Kaushal
11. Shri Y. S. Mahajan
12. Shri K. Ramamurthy
13. Shri Ramayan Rai
14. Shri P. Shiv Shankar
15. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*
Shri T. S. Ahluwalia—*Senior Table Officer*

*The Committee of Privileges was nominated by the Speaker on 1 June, 1983.

EIGHTH REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES (SEVENTH LOK SABHA)

I. Introduction and Procedure

I, the Chairman of the Committee of Privileges, having been authorised by the Committee to submit the Report on their behalf, present this their Eighth Report to the House on the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981, and referred[1] to the Committee by the House on 22 December, 1981.

2. The Committee held fifteen sittings. The relevant Minutes of these sittings form part of the Report and are appended hereto.

3. At their first sitting held on 28 January, 1982, the Committee decided that, in the first instance, Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., be asked to appear before the Committee for oral examination.

4. At their second sitting held on 11 February, 1982, the Committee examined on oath, Shri Satyanarayan Jatiya, M.P.

5. At their third sitting held on 10 August, 1982, the Committee decided that Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain and Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain be called to appear before the Committee in person for oral examination.

6. At their fourth and fifth sittings held on 10 September and 5 November, 1982, respectively, the Committee considered the matter further.

7. At their sixth sitting held on 18 November, 1982, the Committee examined on oath, Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain and Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain.

8. At their seventh and eighth sittings held on 25 January and 5 May, 1983, respectively, the Committee considered the matter further.

---

[1]. L.S. Deb., dt. 22-12-1981, c. 364.

9. At their ninth sitting held on 30 May, 1983, the Committee decided that Shri Babu Lal Jain, ex-Minister of Madhya Pradesh be called to appear before the Committee in person for oral examination.

10. At their tenth sitting held on 28 June, 1983, the Committee examined on oath, Shri Babu Lal Jain, ex-Minister of Madhya Pradesh.

The Committee then decided that Shri Arun Jain, local representative of *Nai Duniya* (a Hindi Daily), at Ujjain be called to appear before the Committee in person for oral examination.

11. At their eleventh sitting held on 8 July, 1983, the Committee examined on oath, Shri Arun Jain, local representative of *Nai Duniya* at Ujjain.

12. At their twelfth sitting held on 3 October, 1983, the Committee considered the matter further and directed that a Memorandum might be prepared by the Secretariat giving the relevant precedents for consideration at a future sitting of the Committee.

13. At their thirteenth sitting held on 21 March, 1984, the Committee deliberated on the matter and arrived at their conclusions.

The Committee decided that Shri H. P. Singh be called again to appear before the Committee in person and explain what he had to say in the matter in view of the finding of the Committee.

14. At their fourteenth sitting held on 17 April, 1984, the Committee further examined Shri H. P. Singh and deliberated on the matter.

15. At their fifteenth sitting held on 7 May, 1984, the Committee considered their draft Report and adopted it.

II. Facts of the Case

16. On 22 December, 1981, Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., made the following statement[2] under Rule 377 regarding alleged assault on him and use of abusive remarks against him by the Police at Ujjain (Madhya Pradesh) on 15 December, 1981:—

"अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त वेदना से पीड़ित हो अपना वक्तव्य उस समय दे रहा हूं जब कि मध्य प्रदेश की विधान सभा का रजत

[2]. L.S. Deb., 22-12-1981, cc. 359—64.

जयन्ती समारोह, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में आपने सुशोभित किया तथा जिस विधानसभा का सदस्य रहने का मुझे भी मौका मिला है, उसी मध्य प्रदेश में समारोह के दो दिन पूर्व 15 दिसम्बर को प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि के साथ कैसा सलूक किया गया उसी का ब्यौरा सिलसिलेवार मैं सदन के समक्ष कर रहा हूं :

मान्यवर, उज्जैन की दो कपड़ा मिलें --विनोद तथा विमल टेक्सटाइल्स में 8,000 से अधिक मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। किन्तु अगस्त, 1981 से ये मिलें लगातार नहीं चल रही हैं तथा 8 नवम्बर, 1981 से बन्द हो गयी है। इसके कारण 8,000 मजदूर कमचारी और उन पर आश्रित 50,000 लोग इन मिलों के बन्द हो जाने के कारण प्रभावित हुए हैं।

मैं उज्जैन लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित जनता का प्रतिनिधि हूं। अतएव यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इन हजारों की संख्या में बेरोजगारी से प्रभावित लोगों को मिलों को चलवाने की कोशिश कर इनकी वाजिब मदद करूं। इस हेतु मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री अर्जुन सिंह से उनके उज्जैन आगमन पर तथा भोपाल में व्यक्तिगत रूप से मिल कर मिलों को अविलम्ब चलाने हेतु आग्रह किया। लोक सभा के वर्तमान सत्र में 1 दिसम्बर, 1981 को नियम 377 के अन्तर्गत सदन को समस्या से अवगत करवाया। इतना ही नहीं तो इसके पूर्व पिछले सप्ताह शुक्रवार को विगत सप्ताह की कार्यसूची में इस विषय को सम्मिलित करने का निवेदन लोक सभा में व्यक्त किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन संसद भवन में स्थित उनके कमरे में जाकर इस समस्या से अवगत करवाया, जिसे हमारे माननीय अध्यक्ष ने सहानुभूति पूर्वक सुना।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 शुक्रवार को सांय साढ़े पांच बजे आयातित चीनी के प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा में मैंने हिस्सा लिया और सदन की कार्यवाही चलने तक मैं लोक सभा में था। दूसरे दिन शनिवार को तथा रविवार को चूंकि सदन का अवकाश था, मैं इन दो दिनों के लिये उज्जैन गया। वहां मिलों के मजदूरों ने मुझे 15 दिसम्बर तक उज्जैन में ही रुके रहने का आग्रह किया 12,13,14 दिसम्बर को अपने लोक सभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इन मजदूर परिवारों की आर्थिक विपन्नता को देखा। महिलाओं के जेवर, घर के बर्तन बेच कर गुजारा करने के हालात सुने। 15 दिसम्बर को मजदूरों के आव्हान पर "उज्जैन बन्द" के दौरान प्रातः एक मजदूरों की रैली को मैंने संबोधित किया। इसके बाद उनकी

मांगों को केन्द्र सरकार तक पहुंचाया जाए, इस हेतु एक सांकेतिक प्रदर्शन रेलवे स्टेशन पर किया गया । प्रदर्शन के उपरान्त चूंकि यह सार्वजनिक तौर पर अंतिम कार्यक्रम था इसके उपरांत यथाशीघ्र मैं लोक सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये दिल्ली लौट जाना चाहता था । उस समय मेरे साथ श्री हरिवल्लभ बंसल, श्री राजेन्द्र रघुवंशी, श्री रामेश्वर गहलोद तथा श्री किशोर लश्करी थे। हम स्टेशन के प्लेट फार्म नं० 1 पर थे तथा स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे थे। रेलवे पुलिस थाने के पास उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक श्री एच० पी० सिंह ने मुझे न सुनते हुए मेरे दोनों हाथ पकड़ कर चिल्ला कर पुलिस कर्मियों को मेरे ऊपर लाठी चलाने का निर्देश दिया। पहला प्रहार मेरे सिर पर किया, दूसरा मेरी दाहिनीं जांघ पर तथा तीसरा मेरे बांये पांव पर घुटने के नीचे, जिसके कारण मैं नीचे गिर पड़ा मेरे साथ चल रहे व्यक्तियों पर जो मुझे बचाने दौड़े और मुझे बचाने के लिये ढक लेना चाहते थे उनको तथा मुझे काफी चोटें आयीं। मेरे सिर में, दायें-बायें दोनों हाथों में दाहिने हाथ की कोहनी पर, दाहिने हाथ की जघा पर घुटने और टखने पर लाठी प्रहार किये गये। मेरे बांयें पांव के आगे के हिस्से पर प्रहार के कारण खून बह निकला। मुझे पूरे तौर पर घायल कर दिया। मैंने पुलिस अधीक्षक से अपनी बात कहनी चाही, किन्तु सुनना तो दूर रहा, अपशब्दों और अभद्रतापूर्वक कहा "बदमाश–गुंडे" कहीं के नेतागिरि करता है, तेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं। कमीने, हरिजन कहीं के संसद् सदस्य बन गया तो अपनी औकात भूल गया।" उसने डंडों से मेरे शरीर को घायल किया, किन्तु उसके अपमान और तिरस्कार के नफरत भरे शब्दों ने मेरी आत्मा को छलनी बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, व्यक्तिगत रूप से मैं काफी आहत हूं। बिना किसी आदेश के जबकि जिलाधीश उज्जैन रेलवे पुलिस थाने में थे, मुझे रोक रखने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। एक घंटे तक पुलिस ने मुझे प्लेट फार्म पर ही बलपूर्वक रोके रखा, मेरा मजाक बनाते रहे और मैं सहता रहा। एक घंटे के उपरान्त भी जब कोई आदेश मुझे नहीं दिया, किसी तरह परेशान होकर मैं उनके इस घेरे से बाहर आया। स्टेशन के बाहर फिर मुझे पुलिस द्वारा घेर लिया गया और तब जबरन मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में मुझे कैदियों ने उठाकर अस्पताल में पहुंचाया, जहां जेल के डाक्टर श्री पटवर्धन ने जांच कर प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद मुझे 12–12–81 को रात्रि में रिहा किया गया।

दिनांक 16-12-81 को रेलवे पुलिस थाने पर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाने जब श्री राजेन्द्र शिन्दे को भेजा तो रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिया। बाद में रेलवे पुलिस अधिकारी ने अपने अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त रिपोर्ट ले ली। पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति मेरे पास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस अधीक्षक श्री एच० पी० सिंह ने बलपूर्वक मुझे रोके रखा, मुझे अपमानित किया और बार-बार घेरकर प्राणघातक चोटें पहुंचायी। मुझे लोक-सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। मेरे शरीर के जख्म तो मैं सहन कर रहा हूं किन्तु मेरी आत्मा आहत है। मैं इस सदन से तथा सदन के प्रमुख के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि :—

1. उक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, जिसने मुझे तथा मेरे मर्म की जख्मी को किया ही है, मुझे लोक सभा में लोक प्रतिनिधित्व करने के कर्त्तव्य के निर्वहन से वंचित किया है, अतएव इस संबंध में अविलम्ब न्याय दिया जाये, जिससे भविष्य में जन-प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की बीभत्व और अन्यायपूर्ण कार्यवाही करने का कोई दुःसाहस न कर सकें।

2. उक्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी पुलिस अधिकारी मुझे, मेरे परिवार को तथा मेरे साथियों को जिनका नाम इस वक्तव्य में दिया गया है, और अधिक क्षति पहुंचाने का कोई षडयन्त्र न कर दें, इस हेतु मुझे, मेरे परिवार तथा मेरे साथियों को पूर्ण सुरक्षा संरक्षण तथा अभय प्रदान किया जाये।

इसके साथ ही अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि विनोद व बिमल मिल के हजारों मजदूरों को बेरोजगारी समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार मिलों को तत्काल अधिगृहीत कर राहत प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तथा इस सदन से मांग करता हूं कि कृपया इस प्रकरण को प्रिविलेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाये। संयोग से मैं यहां पर मौजूद हूं, यदि मैं यहां नहीं आता तो ऐसे समय में लिखित वक्तव्य को भी स्वीकार करेंगे, ऐसा भी मेरा निवेदन है। इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

[Translation—

"Mr. Speaker, Sir, I am very much pained to make a statement in the House detailing the sequence of events relating to the treatment meted out to me—an elected representative of the people—on 15th of December, *i.e.* just two days before the Silver Jubilee function of M.P.

Legislative Assembly, which you graced as the Chief Guest. It is all the more painful when I recall that I had also the privilege to serve the M.P. Legislative Assembly as a Member.

More than 8000 workers and employees work in two textile Mills of Ujjain, *viz.*, Vinod and Vimal Textiles. But these mills have not been running regularly since August, 1981 and have closed down since November, 8, 1981. The closure of these mills has affected 8000 workers and employees as also 50,000 persons dependent upon them.

I am an elected representative of the people from the Ujjain Lok Sabha Constituency. Therefore, it is my duty to extend reasonable help to these thousands of persons rendered unemployed, by trying to get these mills re-opened. In this regard, I had requested the Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Arjun Singh, when he had come to Ujjain and also at Bhopal by meeting him personally, to re-open these mills without delay. During the current session of the Lok Sabha, the House was apprised of the problem by me on December 1, 1981 by way of raising the matter under Rule 377, Not only this I had made a submission in the Lok Sabha on Friday, last week to include this item in the agenda for the following week. I had apprised the Hon'ble Speaker the same day personally in his Chamber in Parliament House of this problem and he listened to me sympathetically.

On Friday, 11 December, I participated in the Half-an-Hour Discussion regarding imported sugar at 5.30 p.m. and I was in the Lok Sabha till the House adjourned for the day. Since there was no sitting of the House next day on Saturday, and also on Sunday, I visited Ujjain for these two days. On reaching Ujjain, the workers of the above Mills requested me to stay in Ujjain up to 15th of December. On December, 12, 13 and 14 I met the people of my Constituency and personally saw the economic deprivation of the families of these workers, who told me that they had to sell the ornaments of their women-folk and also their utensils to make both ends meet. I addressed a rally of the workers in the morning of 15th December during "Ujjain Bandh", a call for which was given by the workers. Thereafter, a token demons-

tration was held at the Railway Station in order to convey their demands to the Central Government. As this was the last public programme, I wanted to return to Delhi immediately after the demonstration was over to take part in the Lok Sabha proceedings. At that time I was accompanied by Shri Hari Vallab Bansal, Shri Rajendra Raghuvanshi, Shri Rameshwar Gahlod and Shri Kishore Lashkari. We were on the platform number 1 of the Railway Station and were going out of the Station. Near the Railway Police Station, Shri H. P. Singh, District Police Superintendent, Ujjain, without listening to me, caught hold of my both hands and ordered the policemen to lathi charge me. The first blow was made on my head, the second blow was made on my right thigh and the third was on my left foot, below the knee, as a result of which I fell down. The people accompanying me ran to cover me in order to save me. They alongwith me received a number of injuries. I was hit with lathis on my head, both hands, elbow of my right hand, right thigh and knee and ankle. The front toe of my foot started bleeding as a result of lathi blows. I was severly injured. I wanted to talk to the Police Superintendent, but what to say of listening, he used abusive language and shouting in a very insulting tone said, '*Badmash, Goonde kaheen ke. Netagiri karta hai, Teri Netagiri abhi thikaney laga deta hoon. Kaminey, Harijan kahin ke, Sansad Sadasya ban gaya to apni aukat bhool gaya*'. (You scoundrel, rogue, trying to be a leader? I will set your leadership right. You mean fellow, you Harijan, after becoming an M.P., you have forgotten what you really are). His lathi blows injured me but his derogatory and scormful words hurt my conscience.

Mr. Speaker, I have tolerated and suffered too much, I am greatly hurt. The Collector of Ujjain was there at Railway Police Station no order was given for my detention. The Police detained me forcibly on the platform itself for an hour, they made fun of me and I put up with that. Even after an hour, when no order was given to me, I somehow came out. Outside the station, the Police surrounded me again and I was forcibly sent to jail. The prisoners in jail took me to the hospital where the Medical Doctor of the jail, Shri Patwardhan examined me

and provided first aid. Afterwards I was released on the night of 15-12-1981.

On 16-12-1981, when Shri Rajendra Shinde was sent to the Railway Police Station to make a written report regarding the matter, they refused to accept it. Later, having consulted his officers, the Railway Police Officer accepted the report. I have a copy of the same, duly signed by the Police Officer.

Mr. Speaker, Sir, the Superintendent of Police, Shri H. P. Singh detained me forcibly. I was insulted repeatedly and was greviously hit again and again. I was prevented from taking part in the proceedings of Lok Sabha. I am putting up with the wounds on my person, but my feelings are badly hurt. I request this House and request your goodself as the Speaker of this House, that:—

1. the said Police Officer, hurt my body as well as soul and deprived me from discharging my duties as a people's representative in Lok Sabha. Therefore, justice should be done immediately so that nobody may dare, in future, to behave in such a rude and unjust manner with the people's representatives.

2. In view of the seriousness of the incident, steps be taken to extend full safety and protection to myself, members of my family and my friends referred to in this statement against any attempt on the part of the influential police officer to further harm us.

Lastly, through you, I would like to urge the hon. Minister of Industry to take over immediately the Vinod and Vimal Mills so as to end the unemployment of thousands of workers of these mills and provide relief to them.

Mr. Speaker, Sir, I request you and the House to refer this matter to the Committee of Privileges. I am here at the moment but even if I had not come here, I request that a written statement should be accepted in such circumstances. I thank you for giving me an opportunity to raise this matter".]

17. Thereafter, the Speaker observed[3] as follows:—

"In this connection, I would like to observe that it is a breach of privilege and contempt of the House to obstruct or

---

[3]. L.S. Deb., dt. 22-12-1981, cc. 363-64.

molest a member while in the execution of his Parliamentary duties, that is, while he is attending the House or when he is coming to or going from the House. Similarly, to molest a Member on account of his conduct in Parliament is a breach of privilege. It has been held earlier by my distinguished predecessors that an assault on or misbehaviour with a Member un-connected with his Parliamentary work or mere discourtesy by the police or officers of the Government are not matters of privilege, and such complaints should be referred by Members to the Ministers direct.

However, I find that in the present case, the Government's version[4] of the facts is different from the version given by Shri Satyanarayan Jatiya in the House. I have, therefore, no objection, if a motion is moved for referring the matter to the Committee of Privileges."

Shri Suraj Bhan, M.P., then moved the following motion which was adopted[5] by the House:—

"That the matter relating to the statement made on the floor of the House by Shri Satyanarayan Jatiya concerning assault on him by the Police at Ujjain on 15th December, 1981, be referred to the Committee of Privileges for examination and report."

III. Findings of the Committee

18. The Government of Madhya Pradesh, in their factual note[6] on the incident, furnished through the Ministry of Home Affairs have *inter alia* stated as follows:—

"A bundh call was given by the Joint Action Committee (AITUC, CITU and BMS) for the 15th December, 1981, in protest against lay off in local Vinod and Vimal Mills ....The crowd started collecting in front of Indore Mill Gate and a procession of about 4,000 started, attempted closure of Hira Mills and forced the labour working to join the procession. The procession culminated in a public meeting, which was addressed by Shri Satyanarayan Jatiya, Member of Parliament who incited the people to go in batches to get the remaining shops closed. The

---

4. *See* Appendix.
5. L.S. Deb., dt. 22-12-1981, c. 364.
6. *See* Appendix.

public meeting ended but Shri Jatiya without any prior programme of the action committee collected some students of Vidyarthi Parishad (BJP) and went to the Railway Station. They lay down before Indore-Nagda and Ratlam-Bhopal trains. The District Magistrate and Superintendent of Police rushed to the Railway Station with necessary force but were subjected to stone pelting. Some students of Vidyarthi Parishad spread a rumour that Shri Jatiya was being beaten up by police, which led to the dispersing crowd of public meeting to reach Railway Station again and a very heavy stone pelting started. The crowd of about 2000 was asked to disperse. In the meantime Shri Jatiya while climbing on the platform from the Railway Track fell down and sustained injuries on his leg. Shri Jatiya was requested by the Superintendent of Police to disperse and return by the same route as he had entered the railway premises but Shri Jatiya was not amenable to any reasoning. The crowd went on stoning with the result that Platoon Commander, Nanku Singh, Head Constable Dulare Singh and Barelal received serious injuries. This was witnessed by the *Nai Duniya* local representative, Shri Arun Jain, Head Constable Dulare Singh had to be rushed to the Hospital. The policemen tried to apprehend Shri Jatiya but he grappled with them and in the process, falling on the platform and throwing his limbs about, Shri Jatiya caused himself minor injuries. With great difficulty, he was conducted to the District Jail. . .

Shri Babu Lal Jain, ex-Minister, had at the Police Station disclosed that during his talk on telephone with Shri Jatiya while in jail, Shri Jatiya had confessed to him that but for the Superintendent of Police's intervention, he would have received more serious injuries during his attempted scuffle with the Police. This confirms that there was no murderous assault by Police on Shri Jatiya and that while Shri Jatiya was deliberately trying to entangle himself in a scuffle with Police the Superintendent of Police intervened and prevented it.....".

19. Shri Satyanarayan Jatiya, M.P.. in his oral evidence[7] before the Committee deposed that the Government version that his injuries were self-inflicted injuries, that the injuries were caused on

---

[7]. *See* Minutes of evidence.

his own, and that he had confessed that this was all done by himself, was all incorrect and contrary to the facts. When Shri Jatiya was told that the State Government in their factual note had stated that "While climbing up the platform, Shri Jatiya fell down and sustained injuries", Shri Jatiya replied that "This is entirely incorrect. The S.P. caught hold of both my hands and asked for lathi-charge.....When there was lathi-charge, the S.P. behaved in a manner like a prey is cornered and he was taking rounds all the time".

In reply to a specific question: "Had any injury been inflicted on you by the S.P. himself?", Shri Jatiya stated: "No. It was the police who inflicted injuries on me. But the injuries received were through his medium. The S.P. had ordered lathi-charge. He caught hold of my hands and that is why I received injuries."

20. Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, in his evidence[8] before the Committee said that "I had very good relations with him (Shri Jatiya) and I bear no ill-will or bitterness towards him. In fact I had great personal regard for him. Some police constables were chasing the crowd with batons in their hands. May be he was hit once or twice. But when I reached there and saw him I said he is our M.P. Do not hit him."

Shri H. P. Singh also stated: "It had never been our intention to hit him or to assault him. Our only intention was that the peace of town should not be disturbed as a result of workers' agitation. We had requisitioned police force from outside to tackle the situation. It might be that he was hit with a baton because they did not know him. We have great regard for him. In case it had happened we express our regrets for it. I personally and on behalf of the police apologise to the Committee. We would never act in such a way as would bring insult or disrespect to an M.P. I went there only to save him."

It was pointed out to Shri H. P. Singh that Shri Satyanarayan Jatiya, in his statement made in the Lok Sabha had stated: "I wanted to talk to the Police Superintendent, but what to say of listening, he used abusive language. . . *'Badmash, Gunde Kaheen ke, Netagiri Karta hai, teri netagiri abhi thikaney laga deta hun. Kaminey Harijan Kehin ke, Sansad Sadasya ban gaya to apni aukat bhool gaya'.*" Shri H. P. Singh thereupon stated: "I have never used this language. I simply requested him not to go from that side. He should proceed on the same side from which he had

---

[8]. *See* Minutes of evidence.

come. I instructed my constables that he should not be touched. He is our M.P." In reply to a question: "You have said that before this particular incident you held Shri Jatiya in high esteem, you gave him all respect and that you have very cordial relations with him. Then why is it that he levelled these allegations against you", Shri H. P. Singh stated: "I could not understand the reason for this."

When it was put to Shri H. P. Singh whether Shri Jatiya was hit by any officer in his presence, he replied that "In my presence absolutely not."

21. Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain, in his evidence[9] before the Committee, deposed; "When we reached the spot we found that wooden sleepers and drums were placed on the railway track. Mr. Jatiya was lying on the railway track and stone-throwing was going on. Before we reached the spot, a mild cane-charge had already taken place.... In the meantime, the hon. Member of Parliament got up from the railway track and tried to climb the railway platform. But he could not do so because there was police on the railway platform who was trying to prevent him from coming on the platform and he slipped. But since his supporters were there, they tried to push him up and ultimately he climed the platform. By the time, the S.P. reached there and told him that it would be better if he got back by the same route through which he had come because two trains were already standing on the railway platform and passengers and police personnel had got injuries and the atmosphere had an air of violance".

Shri Ajit Raizada added, "the police had no intention of harassing or physically harming the hon. Member. In spite of these things, if the hon. Member felt that there was some cause or something which did not come up to the expectation I would express regrets on behalf of the district administration because we had really no intention of causing him any injury or any mental anguish".

In reply to a question: "Was Shri Jatiya injured?", Shri Raizada stated: "I could not see any injury clearly". To a further question: "It is said that the S.P. caught hold of him by the collar and told the policemen to beat him", Shri Raizada replied: "I saw that the S.P. was trying to stop him by stretching his hands but I did not see him having caught the Hon'ble member by his collar".

---

[9]. *See* Minutes of evidence.

22. Shri Babu Lal Jain in his evidence[10] before the Committee *inter alia* stated, "when this incident happened, I was not present there. Later on I was told that the police attacked Shri Satyanarayan Jatiya and his supporters at the Railway Station and they were taken to jail in injured condition". In reply to a question whether he talked on telephone with Shri Jatiya while he was in jail, Shri Babu Lal Jain stated: "So far as I can recollect I did not talk with him after he was taken to jail. Only when he was being released from the jail I had a talk with him". In reply to another question: "Did Jatiyaji tell you that had the S.P. not intervened he would have received more injuries?", Shri Babu Lal Jain said, "No such thing was said....I had no discussion with Jatiyaji on telephone....".

23. Shri Arun Jain in his evidence[11] before the Committee stated: "I got a phone call that there was some *Jaloos* on the Railway Station and there was some *Garbar* there. I took my scooter and went to the Railway Station. When I entered the Railway Station and was going to the Railway Police Thana, I saw Mr. Jatiya was being carried out by some policemen". In reply to a question: "Did you see any stoning by the crowd?", Shri Arun Jain stated: "No, Sir. They gave me this summary that they were trying to stop the train. That is why we have arrested them. Then I came out of the platform and Jatiyaji was being taken in a Jeep".

IV. Conclusions

24. The Committee note that Shri H. P. Singh, the then District Police Superintendent, Ujjain, has denied the allegations made by Shri Satyanarayan Jatiya, MP, against him. While Shri Jatiya alleged that Shri H. P. Singh caught hold both of his hands and ordered the policemen to lathi-charge him, Shri H. P. Singh said that he did not give any such orders to his constables and had instead saved Shri Jatiya. Shri H. P. Singh, however, conceded that Shri Jatiya might have been hit once or twice by the police constables who were chasing the crowd with batons in their hands.

Shri H. P. Singh also denied the allegation of Shri Jatiya that he had used abusive language against him.

25. The Committee find that the position stated in the factual note furnished by the Government of Madhya Pradesh has been

---

[10]. *See* Minutes of evidence.

[11]. *See* Minutes of evidence.

contradicted by Shri Babu Lal Jain, ex-Minister and Shri Arun Jain, local representative of *Nai Duniya* who were cited in the factual note in support of the position stated therein.

26. After careful consideration of the evidence and other documents before the Committee, the Committee are not impressed with the evidence given by Shri H. P. Singh and the factual note furnished by the Government of Madhya Pradesh and are of the view that they were not able to controvert the allegations made by Shri Jatiya. The Committee find no reason why Shri Jatiya should have made the allegations against Shri H. P. Singh without any basis. The Committee have come to the conclusion that Shri Satyanarayan Jatiya, M.P. was assaulted and beaten by the policemen under the orders of Shri H. P. Singh. Further Shri H. P. Singh also used abusive language in respect of Shri Satyanarayan Jatiya which was highly derogatory against a Member of Parliament.

27. The Committee decided that Shri H. P. Singh be called again before the Committee and given an opportunity to explain what he had to say in the matter in view of the above finding of the Committee.

When Shri H. P. Singh was apprised of the findings of the Committee, he promptly submitted:

> "In view of the finding of the Committee, I express my sincere regrets and tender unconditional and unqualified apology for lapses on my part".[12]

28. In view of the unconditional and unqualified apology tendered by Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, the Committee are of opinion that no further action need be taken in the matter.

29. The Committee are however, distressed that of late there have been several cases of assault on Members of Parliament and use of insulting language and abusive remarks against them by police authorities. The Committee are constrained to express their unhappiness over such repeated incidents of assault and abuses on the elected representatives of the people by police personnel.

30. The Committee urge that the Ministry of Home Affairs should take appropriate steps to curb the growing tendency on the

---

[12]. See Minutes of evidence.

part of law enforcing authorities of assaulting and illtreating Members of Parliament and other elected representatives of the people, and of using abusive language in respect of them. The Committee desire that the Ministry of Home Affairs be asked to issue necessary instructions to all the authorities concerned to ensure that such incidents may not recur and, if any officer acts in that manner serious action should be taken against him.

V. Recommendation of the Committee

31. The Committee recommend that no further action be taken by the House in the matter and it may be dropped.

NEW DELHI;
May 7, 1984
Vaisakha 17, 1906 (*Saka*).

R. R. BHOLE,
Chairman,
Committee of Privileges.

MINUTES

MINUTES

I

First Sitting

New Delhi, Thursday, 28 January, 1982.

The Committee sat from 11.00 to 11.15 hours.

PRESENT

Shri Harinatha Misra—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri G. L. Dogra
3. Shri Jagan Nath Kaushal
4. Shri A. A. Rahim
5. Shri Vijay Kumar Yadav

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Senior Table Officer*

2. The Committee considered the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya. M.P. and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

3. The Committee decided that. in the first instance, Shri Satyanarayan Jatiya, M.P. be asked to appear before the Committee of Privileges for oral examination on 11 February, 1982.

The Committee then adjourned.

II

Second Sitting

New Delhi, Thursday, 11 February, 1982

The Committee sat from 11.00 to 13.30 hours.

PRESENT

Shri Harinatha Misra—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri R. L. Bhatia

3. Shri Somnath Chatterjee
4. Shri G. L. Dogra
5. Shri George Fernandes
6. Shri Ram Jethmalani
7. Shrimati Sheila Kaul
8. Shri Jagan Nath Kaushal
9. Shri A. A. Rahim
10. Shri Ram Singh Yadav
11. Shri Vijay Kumar Yadav

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Senior Table Officer.*

WITNESSES

(1) Shri Satyanarayan Jatiya, M.P.

(2) ** ** **

2. The Committee took up consideration of the question of privileges regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P. and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

3. Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., was then called in and examined by the Committee on oath.

(*Verbatim record of the evidence was kept*)

(*The witness then withdrew*)

4-5. ** ** **

The Committee then adjourned.

III

THIRD SITTING

New Delhi, Tuesday, 10 August, 1982

The Committee sat from 16.00 to 17.15 hours.

PRESENT

Shri Harinatha Misra—*Chairman*

**Serial No. (2) and paras 4-5 relate to another case and have accordingly been omitted.

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri Chandulal Chandrakar
4. Shri Somnath Chatterjee
5. Shri Jagan Nath Kaushal
6. Shri Y. S. Mahajan
7. Shri K. Ramamurthy
8. Shri P. Shiv Shanker
9. Shri Dharam Bir Sinha
10. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions.*

2-3. ** ** **

4. The Committee then took up consideration of the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P. and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

The Committee decided that Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, and the then District Magistrate, Ujjain, be called to appear before the Committee for oral examination on 9 September, 1982.

5-6. ** ** **

7. The Committee then adjourned to meet again on 9 and 10 September, 1982.

IV

FOURTH SITTING

New Delhi, Friday, 10 September, 1982.

The Committee sat from 11.00 to 11.20 hours.

PRESENT

Shri P. Venkatasubbaiah—*In the Chair*

**Paras 2-3 and 5-6 relate to other cases and have accordingly been omitted.

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri Somnath Chatterjee
4. Shri Ram Jethmalani
5. Shri K. Ramamurthy
6. Shri Dharam Bir Sinha
7. Shri Krishna Prakash Tewari

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions.*

2. The Committee, in the absence of the Chairman, chose Shri P. Venkatasubbaiah to take the Chair.

3. ** ** **

4. The Committee then decided that the oral evidence of Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain, and presently Additional Commissioner of Rewa, and Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, and presently Deputy Transport Commissioner, Gwalior, who were in attendance, in connection with the question of privilege regarding alleged assault on Shri Styanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981, might be postponed to a future date to be decided by the Chairman.

The Committee then adjourned.

V

FIFTH SITTING

New Delhi, Friday, 5 November, 1982

The Committee sat from 16.00 to 16.30 hours.

PRESENT

Shri Harinatha Misra—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri George Fernandes

**Para 3 does not relate to this case and has accordingly been omitted.

4. Shri Ram Jethmalani
5. Shri Y. S. Mahajan
6. Shri Dharam Bir Sinha
7. Shri P. Venkatasubbaiah
8. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions.*

2. The Committee considered their future programme of sittings to consider the cases pending before them. The Committee decided to hold their sittings on 17 and 18 November, 1982.

3. * * * * *

4. The Committee directed that Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate of Ujjain and Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, be called to appear before the Committee for oral examination on 18 November, 1982, in connection with the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, MP, and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

5. * * * * *

6. * * * * *

7. The Committee then adjourned to meet again on 17 and 18 November, 1982.

VI

SIXTH SITTING

New Delhi, Thursday, 18 November, 1982

The Committee sat from 10.30 to 12.40 hours.

PRESENT

Shri Vijay Kumar Yadav—*In the Chair*

MEMBERS

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Jagan Nath Kaushal

---

*Paras 3, 5 and 6 relate to other cases and have accordingly been omitted.

4. Shri K. Ramamurthy
5. Shri Dharam Bir Sinha
6. Shri Krishna Prakash Tewari
7. Shri P. Venkatasubbaiah
8. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resloutions*

WITNESSES

(1) * * * * *

(2) Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain.

(3) Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain.

2. The Committee, in the absence of the Chairman, chose Shri Vijay Kumar Yadav, to take the Chair.

3-4. * * * * *

5. Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, was called in and examined on oath by the Committee in connection with the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the Police at Ujjain on 15 December, 1981.

(*Verbatim record of evidence was kept*)

(*The witness then withdrew*)

6. Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain was called in and examined on oath by the Committee.

(*Verbatim record of evidence was kept*)

(*The witness then withdrew*)

7. The Committee then adjourned to meet again on 20 and 21 December, 1982.

**Serial No. (1) and paras 3 and 4 relate to another case and have accordingly been omitted.

VII

SEVENTH SITTING

New Delhi, Tuesday, 25 January, 1983

The Committee sat from 11.00 to 12.15 hours.

PRESENT

Shri Harinatha Misra—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Somnath Chatterjee
4. Jagan Nath Kaushal
5. Shri Y. S. Mahajan
6. Shri K. Ramamurthy
7. Shri Dharam Bir Sinha
8. Shri Krishna Prakash Tewari
9. Shri P. Venkatasubbaiah
10. Shri Vijay Kumar Yadav
11. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

The Committee decided to postpone further consideration of the matter to a subsequent sitting of the Committee.

3. * * * * *

The Committee then adjourned to meet again on 25 February, 1983.

**Para 3 relates to another case and has accordingly been omitted.

VIII

EIGHTH SITTING

New Delhi, Thursday, 5 May, 1983

The Committee sat from 16.00 to 16.30 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Jagan Nath Kaushal
3. Shri Y. S. Mahajan
4. Shri P. Shiv Shanker
5. Shri P. Venkatasubbaiah

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

2-3. * * * * *

4. The Committee also decided to take up further consideration of the question of privilege regarding assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December 1981, at their next sitting.

The Committee then adjourned.

IX

NINTH SITTING

New Delhi, Monday, 30 May, 1983

The Committee sat from 11.00 to 12.15 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri George Fernandes
4. Shri Jagan Nath Kaushal

---

*Paras 2 and 3 relate to another case and have accordingly been omitted.

5. Shri Y. S. Mahajan
6. Shri P. Shiv Shankar
7. Shri Krishna Prakash Tewari
8. Shri P. Venkatasubbaiah
9. Shri Vijay Kumar Yadav

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resloutions*

2. * * * * *

3. The Committee then took up further consideration of the question of privilege regarding assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981. After some discussion, the Committee decided that Shri Babu Lal Jain, Ex-Minister of Madhya Pradesh might be asked to appear before the Committee for oral examination at their next sitting.

4. * * * * *

5. The Committee decided to hold their next sitting on 28 June, 1983.

The Committee then adjourned.

X

TENTH SITTING

New Delhi, Tuesday, 28 June, 1983

The Committee sat from 11.00 to 11.50 hours and again from 15.30 to 16.30 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri Chandulal Chandrakar
4. Shri George Fernandes

**Paras 2 and 4 relate to other cases and have accordingly omitted.

5. Shri Jaipal Singh Kashyap

6. Shri Jagan Nath Kaushal

7. Shri K. Ramamurthy

8. Shri Ramayan Rai

9. Shri P. Shiv Shankar

10. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri K. K. Saxena—*Joint Secretary*

WITNESSES

(1) Shri Babu Lal Jain, Ex-Minister, Government of Madhya Pradesh, Ujjain.

(2) * * * * *

2. At the outset, the Chairman welcomed the Members of the new Committee.

3. The Committee then took up consideration of the question of privilege regarding assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

4. Shri Babu Lal Jain, ex-Minister, Government of Madhya Pradesh, Ujjain, was called in and examined on oath by the Committee.

(Verbatim record of evidence was kept)

The witness then withdrew.

5. The Committee directed that Shri Arun Jain, local representative of *'Nai Duniya'*, Ujjain, might be asked to appear before the Committee in person on 8 July, 1983, at 11.00 hours, for oral examination.

6—10. * * * * *

The Committee then adjourned.

**Serial No. (2) and paras 6—10 relate to other cases and have accordingly been omitted.

XI

ELEVENTH SITTING

New Delhi, Friday, 8 July, 1983

The Committee sat from 11.00 to 12.00 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Somnath Chatterjee
4. Shri Jaipal Singh Kashyap
5. Shri Y. S. Mahajan
6. Shri K. Ramamurthy

SECRETARIAT

Shri K. K. Saxena—*Joint Secretary*

WITNESS

Shri Arun Jain, Local representative of 'Nai Duniya' at Ujjain.

2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, MP, and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain, on 15 December, 1981.

3. Shri Arun Jain, local representative of 'Nai Duniya' at Ujjain, was called in and examined on oath by the Committee.

(*Verbatim record of evidence was kept*)

The witness then withdrew

The Committee further considered the matter and decided that the Government of Madhya Pradesh might be asked through the Ministry of Home Affairs to state the basis of their factual note in which they had stated that the incident was witnessed by the 'Nai Duniya' local representative, Shri Arun Jain. The Committee also directed that the name of the official who had prepared and furnished the said factual note might also be intimated to them.

4—9. * * * * *

The Committee then adjourned.

**Paras 4—9 relate to other cases and have accordingly been omitted.

XII

TWELFTH SITTING

New Delhi, Monday, 3 October, 1983

The Committee sat from 15.00 to 16.20 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Indrajit Gupta

3. Shri Jaipal Singh Kashyap

4. Shri Jagan Nath Kaushal

5. Shri Ramayan Rai

6. Shri P. Shiv Shankar

SECRETARIAT

(1) Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

(2) Shri T. S. Ahluwalia—*Senior Table Officer*

2. The Committee took up further consideration of the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981. After some discussion the Committee felt that in order to arrive at a proper conclusion it was necessary to go into past precedents. The Committee directed that a Memorandum might be prepared by the Secretariat giving the relevant precedents for consideration at a future sitting of the Committee.

3-4. * * * * *

The Committee then adjourned.

* Paras 3-4 relate to other cases and have accordingly been omitted.

XIII

THIRTEENTH SITTING

New Delhi, Wednesday, 21 March, 1984

The Committee sat from 15.00 to 16.10 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri Chandulal Chandrakar
4. Shri Somnath Chatterjee
5. Shri George Fernandes
6. Shri Indrajit Gupta
7. Shri Jagan Nath Kaushal
8. Shri Y. S. Mahajan
9. Shri Ramayan Rai
10. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

(1) Shri D. C. Pande—*Joint Secretary*

(2) Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

2. The Committee deliberated on the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

3. The Committee noted that Shri H. P. Singh, the then District Police Superintendent, Ujjain, had categorically denied the allegations made by Shri Satyanarayan Jatiya, MP, against him. While Shri Jatiya had alleged that Shri H. P. Singh caught hold both of his hands and ordered the policemen to lathicharge him, Shri H. P. Singh said that he did not give any such orders to his constables and had instead saved Shri Jatiya. Shri H. P. Singh, however, conceded that Shri Jatiya might have been hit once or twice by the police constables who were chasing the crowd with batons in their hands.

Shri H. P. Singh also denied the allegation of Shri Jatiya that he had used abusive language against him.

4. The Committee also noted that the position stated in the factual note furnished by the Government of Madhya Pradesh had been contradicted by Shri Babu Lal Jain, ex-Minister and Shri Arun Jain, local representative of *Nai Duniya* who had been cited in the factual note in support of the position stated therein.

5. After careful consideration of the evidence and other documents before the Committee, the Committee was not impressed with the evidence given by Shri H. P. Singh and the factual note furnished by the Government of Madhya Pradesh and felt that they were not able to controvert the allegations made by Shri Jatiya.

6. The Committee, after careful consideration of the evidence before them, came to the conclusion that Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., had been assaulted and beaten by the policemen under the orders of Shri H. P. Singh. Further, Shri H. P. Singh had also used abusive language in respect of Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., which was highly derogratory against a Member of Parliament.

7. The Committee decided that Shri H. P. Singh be called again to appear before the Committee in person and explain what he has to say in the matter in view of the above finding of the Committee.

The Committee then adjourned.

XIV

FOURTEENTH SITTING

New Delhi, Tuesday, 17 April, 1984

The Committee sat from 14.30 to 14.50 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

PRESENT

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Somnath Chatterjee
4. Shri Indrajit Gupta
5. Shri Jaipal Singh Kashyap
6. Shri Jagan Nath Kaushal

7. Shri Y. S. Mahajan
8. Shri Ramayan Rai
9. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

(1) Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

(2) Shri T. S. Ahluwalia—*Senior Table Officer*

WITNESS

Shri H. P. Singh,
the then Superintendent of Police, Ujjain and now Deputy Transport Commissioner, Gwalior.

2. The Committee took up for consideration the question of privilege regarding the alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, MP, and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

3. Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain and presently Deputy Transport Commissioner, Gwalior, was called in and examined by the Committee. At the outset, the Chairman informed him as follows:—

"The Committee of Privileges have carefully gone through the evidence and other documents produced before the Committee and are not convinced by the evidence given by you before the Committee.

The Committee note that you have denied the allegation made by Shri Satyanarayan Jatiya, MP, that you caught hold both of his hands and ordered the policemen to lathi-charge him. You, however, conceded before the Committee that Shri Jatiya might have been hit once or twice by the police constables who were chasing the crowd with batons in their hands.

Shri Jatiya also alleged that you had used abusive language, shouted at him in a very insulting tone and said, *'Badmash, Goonde Kaheen ke. Netagiri Karta hai, teri netagiri abhi thikaney laga deta hoon. Kaminey, Harijan kahin ke Sansad Sadasya ban gaya to apni aukat bhool gaya'*. This allegation has been denied by you but the Committee find no reason why Shri Jatiya should have made this allegation against you without any basis.

The Committee also note that the position stated in the factual note furnished by the Government of Madhya Pradesh had been contradicted before the Committee by Shri Babu Lal Jain, ex-Minister of Madhya Pradesh and Shri Arun Jain, local representative of *Nai Duniya*, whose names had been cited in the factual note in support of the position stated therein.

The Committee after careful considertaion of the evidence and other documents, have come to the conclusion that Shri Satyanarayan Jatiya, MP, was assaulted and beaten by the policemen under your orders on 15 December, 1981, at Ujjain Railway Station. Further you had also used abusive language in respect of Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., which was highly derogatory to a Member of Parliament.

Before proceeding further in the matter, the Committee would like to give you another opportunity to have your say in the matter, in view of the above findings of the Committee."

4. Shri H. P. Singh, thereupon expressed his regrets and tendered his unconditional and unqualified apology to the Committee.

(Verbatim record of evidence was kept)

(The witness then withdrew).

5. The Committee decided to recommend to the House that in view of unconditional and unqualified apology tendered by Shri H. P. Singh, no further action be taken and the matter be dropped.

6. The Committee, however, noted that of late there had been several cases of assault on Members of Parliament and use of insulting language and abusive remarks against them by police authorities. The Committee were constrained to express their distress and unhappiness over such repeated incidents of assault and abuses on the elected representatives of the people by police personnel.

The Committee decided to recommend that the Ministry of Home Affairs should take appropriate steps to curb the growing tendency on the part of law enforcing authorities of assaulting and ill-treating Members of Parliament and other elected representatives of the people, and of using abusive language in respect of them. The Committee desired that the Ministry of Home Affairs be asked to issue necessary instructions to all the authorities concerned to

ensure that such incidents might not recur and if any officer acts in that manner serious action will be taken against him.

7. The Committee decided that the draft Report on the matter might be prepared and circulated to the members of the Committee for consideration at their next sitting.

The Committee then adjourned.

XV

FIFTEENTH SITTING

New Delhi, Monday, 7 May, 1984

The Committee sat from 16.00 to 16.40 hours.

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Indrajit Gupta
3. Shri Jaipal Singh Kashyap
4. Shri Y. S. Mahajan
5. Shri Ramayan Rai

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

2. The Committee considered their draft Eighth Report on the question of privilege regarding the alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, MP, and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15 December, 1981.

3. The Committee adopted the draft Report with the following modification:—

For paragraph 28 which read as follows:—

"28 The Committee are of the view that the unconditional and unqualified apology tendered by Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, may be accepted and that no further action be taken in the matter.",

the following paragraph be substituted:—

"28. In view of the unconditional and unqualified apology tendered by Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain, the Committee are of opinion that no further action need be taken in the matter."

4. The Committee decided that the evidence taken before the Committee be appended to the Report of the Committee.

5. The Committee authorised the Chairman and, in his absence Shri Indrajit Gupta, MP, to present their Eighth Report to the House on 9 May, 1984.

6. The Committee also decided to hold their next sitting on 15 June, 1984, to consider the matter pending before them.

The Committee then adjourned.

MINUTES OF EVIDENCE

LIST OF WITNESSES

Thursday, 11 *February*, 1982

	PAGE
Shri Satyanarayan Jatiya, M.P.	41
Thursday, 18 *November*, 1982	
(1) Shri H.P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain	56
(2) Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain	68
Tuesday, 28 *June*, 1983	
Shri Babu Lal Jain, ex-Minister, Government of Madhya Pradesh, Ujjain	76
Friday, 8 *July*, 1983	
Shri Arun Jain, Local representative of 'Nai Duniya' at Ujjain	83
Tuesday, 17 *April*, 1984	
Shri H.P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain and presently Deputy Transport Commissioner, Gwalior	88

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Thursday, 11 February, 1982

PRESENT

Shri Harinatha Misra—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri R. L. Bhatia
3. Shri Somnath Chatterjee
4. Shri G. L. Dogra
5. Shri George Fernandes
6. Shri Ram Jethmalani
7. Shrimati Sheila Kaul
8. Shri Jagan Nath Kaushal
9. Shri A. A. Rahim
10. Shri Ram Singh Yadav
11. Shri Vijay Kumar Yadav

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Senior Table Officer*

WITNESS

Shri Satyanarayan Jatiya, M.P.

(*The Committee met at* 11.00 *hours*)

Evidence of Shri Satyanarayan Jatiya, M.P.

सभापति महोदय : श्री सत्यनारायण जटिया, आपको विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर आपके साथ 15 दिसम्बर, 1981 को उज्जैन में पुलिस द्वारा की गयी कथित मारपीट और गाली दिए जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में साक्ष्य देने के लिये अनुरोध किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि आप तथ्यात्मक स्थिति का सही-सही निःसंकोच बयान करेंगे ताकि समिति सही निष्कर्ष पर पहुंच सके ।

मैं आपको यह बता दूं कि लोक सभा में समिति की रिपोर्ट तथा समिति की कार्यवाही प्रस्तुत किये जाने तक आप अपने साक्ष्य को गोपनीय रखें। इससे पूर्व सभी

की बैठकों के बारे में कुछ भी बताना अथवा प्रकाशित कराना विशेषाधिकार का भंग समझा जायेगा। समिति के समक्ष आप जो भी साक्ष्य देंगे उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अब, आप इच्छानुसार, शपथ अथवा प्रतिज्ञान करें।

(श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा शपथ ली गई)

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह जो प्रकरण है यह मजदूरी की वजह से हुआ है। दो मिलों के मजदूर बेकार हो गये थे। उसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। करीब तीन महीने से दो मिलें बन्द थीं—

सभापति महोदय : उसको आप छोड़िये। प्वाइंट पर आप आइये।

श्री सत्यनारायण जटिया : कारण मैं बता रहा हूं। सभी चाहते थे कि ये मिलें चालू हों। मैं वहां गया और जाकर मैंने मजदूरों की स्थिति को देखा।

सभापति महोदय : यह सब आप कह चुके हैं। जो इलजाम लगाया गया है उसके बारे में कहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो यह कहा गया था कि आप ड्रामा कर रहे थे और यह सब प्री-अरेंज्ड था और जिस चीज को आपने कनफैस किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

सभापति महोदय : श्री बाबूलाल जैन जो एक्स मिनिस्टर हैं और जो आपकी पार्टी के हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब कुछ हंगामा नहीं होगा और उस पर आप रिहा किये गये जेल से और उसके बावजूद यह प्रदर्शन और यह जलूस और यह मीटिंग आपने नहीं की ? उनका यह भी कहना है कि जब आप जेल में थे तो फोन पर उनके साथ आपकी बात हुई थी और उसमें आपने कहा था कि एस० पी० साहब अगर नहीं होते तो आपको कुछ भी हो सकता था।

It is stated on page 420 of Appendix II as follows:

"Shri Babulal Jain, ex-Minister, had at the Police Station disclosed that during his talk on telephone with Shri Jatiya while in jail, Shri Jatiya had confessed to him that but for the Superintendent of Police's intervention, he would have received more serious injuries, during his attempted scuffle with the police. This confirms that there was no murderous assault by police on Shri Jatiya and that while Shri Jatiya was deliberately trying to entangle himself in a scuffle with police, the Superintendent of Police intervened and prevented it. The District Magistrate and the Superintendent of Police acted with exemplary restraint which helped in diffusing the situation."

इस सबके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री जटिया : मैंने यह कल ड्रा किया है, ए बी सी। यह है वह स्थान जहां डैमांस्ट्रेशन था . . . .

श्री जगन्नाथ कौशल : यह सब रिकार्ड पर कैसे जायेगा ? सबसे पहले आप यह बतायें कि जो आपने सदन में बयान दिया था क्या वह सत्य था ?

श्री जटिया : सत्य था।

श्री जगन्नाथ कौशल : अब आप उसका जवाब दें जो चेयरमैन साहब ने आप से पूछा है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The basis of the Government version is that because of your leadership or your instigation there was some trouble. While they were defusing the situation you deliberately and with a view to getting political advantage arranged in a manner which they say was a drama. Your injuries were self-inflicted injuries; that the injuries were caused on your own; and that you had confessed that this was all done by you. Is it correct or not?

SHRI SATYANARAYAN JATIYA: This is all incorrect.

यह बिल्कुल असत्य है और तथ्य के विपरीत है क्योंकि प्रदर्शन होकर समाप्त हो चुका था और समाप्त होने के बाद वहीं आगे जाकर एक सड़क होती है जो स्टेशन के दो भाग को जोड़ती है। तो मैं सड़क पर आया और प्लेटफार्म नम्बर 1 पर आया जहां पुलिस के लोग खड़े थे। प्रदर्शन समाप्त हो चुका था, मेरे साथ 3, 4 लोग रहें होंगे। और एक भी विद्यार्थी परिषद् का नहीं था, जिनके ऊपर मेरे साथ लाठी चार्ज हुआ है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है। एस० पी० वहां खड़े थे और मुझे देखते ही उन्होंने कहा लाठी चार्ज।

सभापति महोदय : यह स्टेशन की बात है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : यह प्लेटफार्म पर हुआ। आप सारा रेकार्ड देखेंगे तो पता लगेगा कब ट्रेन गई और कब हम पर हमला हुआ। एफ आई आर हमारे खिलाफ दर्ज की गयी है उसे आप देखिये।

श्रीमती शीला कौल : जहां प्रदर्शन किया क्या रेलवे स्टेशन नजदीक है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : प्रदर्शन गाड़ी के सामने हुआ और जब हमने प्रदर्शन समाप्त किया तब ही रेल गई। प्रदर्शन रेलवे ट्रैक पर कर रहे थे ऐज ए टोकिन डिमांस्ट्रेशन।

श्रीमती शीला कौल : ट्रैक पर क्यों कर रहे थे ? क्या यह आप जैसे आदमी के लिये ठीक था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : केन्द्रीय सरकार का ध्यान कैसे आकर्षित हो इसलिये यह टोकिन प्रदर्शन किया गया।

सभापति महोदय : कितनी देर तक आप लोगों का ट्रेन को रोक रखने का इरादा था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : हमारा रेल रोक रखने का इरादा नहीं था। केवल टोकिन प्रदर्शन था। चूंकि रेल वहां पर थी और हमने स्लोगन्स लगाये कि मिलों को चालू करो। लगभग 5 मिनट तक सारा होता रहा और प्रदर्शन का रूप खत्म हो गया था।

श्रीमती शीला कौल : ट्रेन से क्या रिश्ता था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : राज्य सरकार का कहना था कि हमने केन्द्र सरकार को सारी बात भेज दी है। तो केन्द्रीय सरकार का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाये ? इसलिये यह प्रदर्शन किया और इसकी रिपोर्टिंग केन्द्र को जायेगी इसलिये वहां गये थे।

श्री राम सिंह यादव : जिस ट्रेन के सामने आप लेटे थे वह इंदौर—नागदा ट्रेन थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : हम लेटे नही थे, और केवल एक ही गाड़ी के सामने प्रदर्शन हुआ जो रतलाम-भोपाल गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी का जिक्र गलत है। लगभग 10.45 या 10.50 का समय रहा होगा।

श्री राम सिंह यादव : इन्दौर—नागदा गाड़ी का क्या समय है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : 11.25 पर जाती है। हमारा प्रदर्शन रतलाम—भोपाल गाड़ी के सामने था और करीब 25 लोग रहे होंगे प्रदर्शन करने में। कुछ लोग मजमें में तमाशबीन की शक्ल में रहें होंगे।

श्री राम सिंह यादव : पुलिस ने धारा 144 लगा रखी थी ? और क्या आपके जाने से पहले वहां डी० एम० और एस० पी० मौजूद थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : पहले से धारा 144 नहीं लगी थी। मुझे गिरफ्तार करने के बाद धारा 144 लगायी गयी। ट्रेन के सामने एस० डी० एम० श्री महाडिक और थानेदार श्री पाटिल थे। उस वक्त एस० पी० और डी० एम० नहीं थे।

श्रीमती शीला कौल : आप रेलवे ट्रैक पर लेटे थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : हम तो ट्रैक पर नहीं लेटे थे, केवल टोकिन प्रदर्शन था। किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। केवल टोकिन प्रदर्शन था जो 5 मिनट बाद समाप्त हो गया।

सभापति महोदय: जिनका नेतृत्व आप कर रहे थे वह 25 लोग ही थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मजदूरों ने तय किया था कि टोकिन प्रदर्शन किया जाये। जब हम सब चले तो 25 आदमी ही थे। उस टोकिन प्रदर्शन के बाद प्लेट-फार्म पर 4 आदमी ही थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप बोले कि गिर गये। When you were trying to get on to the platform, did you fall down?

श्री सत्यनारायण जटिया : प्लेटफार्म पर गिरने का कोई कारण नहीं था। हम तो सड़क से चलकर प्लेटफार्म पर आये, और जिस ओर से हम चल कर आये लगभग 100, 150 मीटर ही कि दूरी होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : While climbing up the platform, Shri Jetiya fell down and sustained injuries. Is it correct?

श्री सत्यनारायण जटिया : यह बिल्कुल असत्य है ।

एस० पी० ने मेरे दोनों हाथ पकड़ कर लाठी जार्ज को कहा। तो मुझे बचाने के लिये 3, 4 लोग बीच में पड़े उनको भी चोटें आयीं जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है । जब लाठी चार्ज हुआ तो जैसे शिकार को घेर कर परेशान करने की बात थी वही एस० पी० ने किया और वह लगातार चक्कर लगा रहा था।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आप धीरे-धीरे बोलिये ताकि रेकार्ड किया जा सके।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब 3 महीने से यह फैक्ट्री बन्द थी और आप वहां 12 से 14 तारीख तक रहे तो आपने वहां कोई पब्लिक मीटिंग की होगी?

श्री सत्यनारायण जटिया : जलूस किया, पब्लिक मीटिंग नहीं थी। उसके लिये परमिशन की जरूरत नहीं थी । वहां पर जो गेट मीटिंग होती है वह बराबर होती रहती है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपने कहा जलूस निकाला?

श्री सत्यनारायण जटिया : वहीं से ही जलूस की शक्ल बन गई।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : और उसके लिये कोई पुलिस की परमीशन नहीं ली आपने?

श्री सत्यनारायण जटिया : उसकी कोई जरूरत नहीं थी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : और भी जो आर्गेनाइजर थे, उन्होंने भी कोई परमीशन नहीं ली?

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं नहीं कह सकता।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब आप स्टेशन पर थे और आपने रेलवे लाइन पर प्रदर्शन किया तो क्या उस वक्त किन्हीं लड़कों ने या मजदूरों ने पुलिस पर कोई पथराव किया था।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरी कतई जानकारी नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपके 20; 25 लोग मौके पर मौजूद थे, आपको यह भी मालूम नहीं हुआ कि कोई पुलिस वाला जख्मी हुआ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब आप 12, 13; 14 को गेट पर मीटिंग करते रहे तो आप तो उस मूवमैंट के साथ कनकटेड रहे हैं, उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया ल ?

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं लिया।

श्री रघुनन्दन लाल भटिया : जब आप स्टेशन पर थे, तो पुलिस वालों ने एकदम क्यों लाठियां मारीं ? इसका कारण बताइये।

श्री सत्यनारायण जटिया : यह आन्दोलन लम्बे अर्से से चल रहा था और मजदूरों का आन्दोलन था कि मिल चलाया जाये। एक बार हमारे मुख्यमंत्री वहां पर आये थे तो हमने उनसे बोनस की चर्चा की थी। जब वह उज्जैन आये तो हमारा प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला। हमारी यूनियन के दूसरे प्रतिनिधि, मैं और सब मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक बोनस दिलवा देंगे। हमने कहा कि इससे काफी विलम्ब हो जायेगा। तनख्वाह भी नहीं है, आप चाहें तो 14 नवम्बर तक दिलवा दें या 19 नवम्बर तक इस काम को करवा दें। उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छा ठीक है इस पर विचार करते हैं। इस तरह से बात चल रही थी, एस० पी० वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बात खत्म हो गई आप उन्हें जाने क्यों नहीं देते ? मैंने उनसे कहा कि जब हमारी बातचीत चल रही है तो बीच में आपको इस प्रकार से व्यवधान नहीं करना चाहिये, आपको बीच में बोलना नहीं चाहिये। इससे एस० पी० नाराज हुए। मुख्यमंत्री से चर्चा चल रही थी, उन्होंने सद्भाव से विचार सुने।

सभापति महोदय : जब आपकी पूरी सभा हो रही थी और उसमें बहुत से लोग उपस्थित थे तो सारी कहानी समाप्त हो गई। एस० पी० अगर चाहते तो इस अवधि में ही कुछ कर सकते थे। स्टेशन को ही उन्होंने इसके लिये क्यों चुना ? जहां कि आप टोकन कुछ प्रदर्शन कर रहे थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जब यह प्रदर्शन हो रहा था, तब भी पुलिस के लोगों ने प्रयत्न किया। जहां मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि जब प्रदर्शन होता है तो कुछ लोग तेजी से भी चलते हैं, 4, 5 लोग वहां रह गये थे, तो पुलिस के लोग गाड़ी में से उतरे और लाठी प्रहार किया लेकिन मैं वहां बच गया। मैंने वहां भी कहा कि इस प्रकार से लाठी चार्ज करना बेबात की लाठी मजदूरों पर चलाना यह ठीक नहीं है। ऐसा सभा में भी कहा गया। यह सब हो चुका और जब स्टेशन पर उन्होंने मुझे अकेला देखा तो यह सब किया। ऐसा जो कहा गया है कि एस० पी० मुझे बचाना चाहते थे तो जब एस० पी० बचाना चाहते हों तो कौन किसी को मार सकता है। क्या एस० पी० के संरक्षण में मुझे कोई चोट पहुंच सकती थी ? कैसे मुझे कोई मार सकता था जब कि एस० पी० बचाना चाहता हो ? लेकिन ऐसी बात नहीं थी।

सभापति महोदय : आप अपना जवाब माकूल भाषा में दें, यहां तो सब पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपके ख्याल में क्या कारण हो सकता है जो पुलिस आपके ऊपर टूट पड़ी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : इस बात का गुस्सा उनके दिमाग में था कि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और एस० पी० की बात को नहीं माना।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या आप सख्त भाषा में बोल रहे थे?

श्री सत्यनारायण जटिया : हमने तो यही कहा था कि बोनस दीजिये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब तक इस बात का सही ब्यौरा हमको न मिले कि प्रोवोकेशन का कारण क्या था तो बड़ा मुश्किल है। आप हमारी मदद कीजिये, हम यह जानना चाहते हैं कि कारण क्या था?

श्री सत्यनारायण जटिया : जो सारा आन्दोलन चल रहा था, उसमें जैसे एक घटना यह हुई, उसी तरह से एक और घटना भी थी। एक बार मजदूरों की सभा मिल-गेट पर हो रही थी, प्राय: वहां पर होती है। उससे वहां आवा जो बाधा कभी-कभी हो जाती है, यह हम एडमिट करते हैं। लेकिन ऐसे समय में आवागमन को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर के पास कर देते हैं। उस दिन जो सभा हो रही थी तो पुलिस के लोगों ने कहा कि सभा नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि सारे मजदूर यहां खड़े हैं, जैसा आप हमेशा करते आये हैं, उसी प्रकार अब भी कीजिये, अगर कोई व्यवधान होता है तो गिरफ्तार कर लीजिये। लेकिन उन्होंने घुड़सवार बुलाये, पूरी फोर्स बुलाई और कहा कि दंगाइयो, बलवाइयो भाग जाओ, और वह घोड़ों पर मार्च करने लगे। इस पर मजदूर सड़क पर लेट गये। इसके कारण भी पुलिस वालों को गुस्सा आया। एस० पी० मौजूद थे, उनको भी गुस्सा आया कि उनका एक्शन रोक दिया गया। उसके बाद जलूस निकला, उसमें नारे लगे जो कि पुलिस के खिलाफ थे। पुलिस वालों ने इस बात पर अपना मन बनाया कि किसी प्रकार इसको ठीक सबक सिखाया जाये। यह इच्छा उनके मन में थी। उन्होंने उपरोक्त 2, 3 कारणों से अपना मन बना लिया कि या तो वह नेतृत्व से हट जाये या मुझे किसी प्रकार से चोट पहुंचायी जाये। अपमानित कर मुझे नीचा दिखाया जाये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इस बात से दो प्रश्न उठते हैं। पहला तो यह कि आपके पास परमीशन नहीं थी इसलिये पुलिस वालों ने कहा हो कि आप प्रदर्शन नहीं करें। दूसरी बात यह है कि जब आपका जलूस निकला और आपने डिमांस्ट्रेशन किया तो पुलिस वालों ने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ आप को ही कहा, इसका क्या कारण है?

श्री सत्यनारायण जटिया : जलूस में लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे पुलिस के खिलाफ बोल रहे थे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : गाली तो नहीं दी?

श्री सत्यनारायण जटिया : गाली क्यों देते? उनको कुछ नहीं कहा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : नारे तो यही होंगे कि पुलिस मुर्दाबाद। इसके अलावा क्या हो सकता है?

श्री सत्यनारायण जटिया : जिस दिन हमारे ऊपर लाठी जार्ज हुआ, उसके पहले की घटना में यह प्रदर्शन कमिश्नर के सामने गया था कि हमारी मिल चलाई जाये, बोनस दिलाया जाये। उसके बाद प्रदर्शन भी कमिश्नर के यहां गया था। डैपुटेशन कमिश्नर से भी मिला था और उनको वस्तुस्थिति बताई थी। कमिश्नर ने सारी बातों को सुना था। उसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया था। तो यह घटना और मुख्यमंत्री वाली घटना, यह दोनों अलग-अलग हैं। इन दोनों बातों का रिएक्शन उस दिन हुआ।

आपने कहा कि हमारे ऊपर ही आक्रमण क्यों किया? वह इसलिये क्योंकि सारे प्रदर्शन को मैं सम्बोधित करता था। उनको यह लगता था कि यही एक आदमी ऐसा है जिसको चोट पहुंचाई जाये, इसको डरा के इनके बीच से हटा सकते हैं। उनकी यही भावना रही होगी?

श्री राम सिंह यादव : पब्लिक मीटिंग जो आपने की, उसमें ही यह घोषणा की थी कि रेलवे स्टेशन पर जाना है?

श्री सत्यनारायण जटिया : घोषणा करने का काम हमारा नहीं था।

श्री राम सिंह यादव : संघर्ष समिति ने की होगी या किसी और ने की हो? जब पब्लिक मीटिंग हो रही थी, उस वक्त घोषणा की गई हो कि रेलवे स्टेशन पर जाकर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी नहीं।

श्री राम सिंह यादव : मीटिंग खत्म होने के बाद आपने कहा कि रेलवे स्टेशन पर चलेंगे, हमको केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। इसलिये रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन खड़ी थी, उसके सामने आपने प्रदर्शन किया। उस समय 25 आदमियों में, स्वयं श्री बाबू लाल जैन, एक्स-मिनिस्टर भी आपके साथ थे?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी, नही।

श्री राम सिंह यादव : जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उन के नाम आप बता सकते हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : हरिवल्लभ वंसल, राजेन्द्र रघुवंशी ....

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : ठीक है वे इसमें दिये हुए हैं।

श्री राम सिंह यादव : आप ने जो प्रदर्शन किया था, उस समय गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ था?

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं, पथराव करने का कोई कारण नहीं था।

श्री राम सिंह यादव : वह गाड़ी पैसेन्जर ट्रेन थी?

श्री सत्यारायण जटिया : जी, हां।

श्री राम सिंह यादव : इस प्रदर्शन के कारण गाड़ी कितनी डिले हुई?

श्री सत्यनारायण जटिया : ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट रुकना पड़ा होगा यूजअल डिपार्चर टाइम से।

श्री राम सिंह यादव : पुलिसवालों ने वहां से गाड़ी जल्दी चलाने की कोशिश की और आप चाहते थे कि गाड़ी रुके ताकि केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित हो ?

श्री सत्यनारायण जटिया : उन को हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हम अपने आप हट गये थे। इसमें कोई क्लैश नही था।

श्री राम सिंह यादव : आप की भावना यह थी कि गाड़ी को रोक कर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें और जब तक ट्रेन डिले न होती तब तक केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो सकता था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : हमारी यह भावना कतई नहीं थी कि डिले करें। यह तो टोकन के रूप में प्रदर्शन किया गया था और इस में 4–5 मिनट से ज्यादा का समय नही लगा।

श्री राम सिंह यादव : हेड कांस्टेबिल दुलारे सिंह, ननकू सिंह और बड़े लाल, इन लोगों को चोटें आई थीं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री राम सिंह यादव : आप के अलावा और किसी को चोट लगते आपने देखा था ?

श्री सत्य नारायण जटिया : जी, नहीं।

श्री राम सिंह यादव : न पुलिस वालों को और न भीड़ में किसी और को चोट पहुंची थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आप डिमान्सट्रेशन को लीड कर रहे थे ? आप के साथ कौन-कौन था और यह किस का प्रोग्राम था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : यह संघर्ष समिति का प्रोग्राम था ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : संघर्ष समिति में कौन-कौन लोग थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : ट्रेड यूनियन्स के लोग थे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : उन ट्रेड यूनियन्स के कौन-कौन लोग थे।

सभापति महोदय : दो मिलें वहां पर हैं, उन में कितनी ट्रेड यूनियनें हैं ? उन सब के सम्मिलित प्रयास से यह प्रदर्शन हुआ। यह जो टोकन डिमान्स्ट्रेशन प्लेटफार्म पर या रेलवे ट्रैक के सामने किया गया यह उन सब की सहमति से हुआ ?

श्री सत्यनारायण जटिया : सब की सहमति उन में थी।

सभापति महोदय : और फिर भी उस में 5 आदमी थे। आप ने बताया है कि सब की राय से यह टोकन डिमान्स्ट्रेशन हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि प्लेटफार्म पर या रेलवे ट्रैक पर जो यह प्रदर्शन हुआ उस में कितने आदमी थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : यह जो प्रदर्शन था उसमें करीब 5–7 हजार लोग रहे होंगे। जब रैली खत्म हुई तो उसके बाद यह टोकन डिमोन्सट्रेशन हुआ।

सभापति महोदय : 5–7 हजार आदमी कहां थे?

श्री सत्यनारायण जटिया : जहां मीटिंग हुई थी।

सभापति महोदय : उनमें से कितने आदमी रेलवे ट्रैक पर या प्लेटफार्म पर आए?

श्री सत्यनारायण जटिया : रैली खत्म होने के तुरन्त बाद यह कार्यक्रम था। रैली होने के बाद संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया कि टोकन डिमोन्सट्रेशन करेंगे और उस में 25 आदमी थे।

सभापति महोदय : कितने लोग रेलवे ट्रैक पर थे?

श्री सत्यनारायण जटिया : रेलवे ट्रैक पर 25 आदमी थे।

सभापति महोदय : 5–7 हजार आदमियों में से केवल 25 आदमी वहां थे।

श्री सत्यनारायण जटिया : ज्यादा को नहीं कहा गया था क्योंकि टोकन डिमोन्सट्रेशन था।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : ट्रेड यूनियनें कौन-कौन थीं?

श्री सत्यनारायण जटिया : सीटू थी, बी० एम० एस० थी और ए० आई० टी० यू० सी० थी।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : इन को कौन-कौन लोग रेप्रेजेन्ट कर रहे थे।

श्री सत्यनारायण जटिया : श्री बंशीधर आजाद सीटू, श्री बाबू लाल मेहरा बी० एम० एस० और श्री राम सिंह ने ए० आई० टी० यू० सी० को रेप्रेजेन्ट किया। श्री बाबू लाल नागर भी उस में थे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आप को छोड़ कर 25 आदमी वहां थे वे क्या सब यूनियनों के थे?

श्री सत्यनारायण जटिया : उस में सब ट्रेड यूनियनों के लोग थे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जब आप ने यह फ़ैसला किया था कि उस में सब ट्रेड यूनियनों के लोग होंगे तो जितने ट्रेड यूनियनों के लीडर्स होंगे वे तो उन में होंगे ही। एक-एक का नाम आप बताइए क्योंकि आप यह जानते हैं कि यह प्रिविलेज का मामला है और हम इस में एक पेरामीटर से आगे नहीं जा सकते। इसलिए आप यह बता दीजिए कि जो 25 आदमी वहां थे उन के नाम क्या थे और किस-किस यूनियन के वे सम्बन्धित थे?

श्री सत्यनारायण जटिया : इतने बड़े जलूस में से आये 25 लोगों के मैं कैसे उन के नाम जान सकता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मेरा सीधा सवाल है। कौन-कौन सी ट्रेड यूनियनों के कौन-कौन लोग आप के साथ थे।

श्री सत्यनारायण जटिया : 25 लोग थे और सभी ट्रेड यूनियनों के लोग थे

श्री गिरधारी लाल डोगरा : इतने बड़े जुलूस को लेकर आप चले तो आप के वाकिफ़ वे लोग होंगे। आप कह रहे हैं कि ट्रेन के रोकने की आपके मन में कोई चेष्टा नहीं थी और न ही ऐसा कोई प्रोग्राम था और न ही आप ट्रेन को लेट करना चाहते थे।

The question is whether the Police entered to clear the track or it is a vindictive action on their part.

जो 25 आदमी थे तो कौन-कौन सी यूनियनों को रेप्रेजेन्ट कर रहे थे। आप उन के नाम हमें बता दीजिए।

That will help us in arriving at the conclusion.

श्री सत्यनारायण जटिया : मुझे 25 लोगों के नाम याद नहीं हैं। परन्तु वे मजदूर थे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : क्या आप यह कह सकते हैं कि वे 25 ही आदमी थे, कम नहीं थे।

श्री सत्यनारायण जटिया : यह मैं अन्दाजे से कह रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जब आप अन्दाजे से कह रहे हैं तो वे कम भी हो सकते हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : हो सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आपने कहा कि आपके और एस० पी० के बीच कोई इल-फीलिंग थी, उसी की बेसिस पर आपके साथ यह घटना हुई। वह क्या कारण थे जिसकी वजह से यह थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : उनके मन में क्यों थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरे विचार में उनके मन में इस कारण से हो सकती है कि मैंने मुख्य मंत्री को कहा था कि हम आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपके इन्टरफीयर करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। संभवतः इस कारण से हो।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : यह बात आप यकीन से नहीं कह सकते कि उनके मन में किसी वजह से इल-फीलिंग थी। क्या आप इस बात से कंविन्स्ड हैं कि आपके साथ जो सुलूक किया गया उसके पीछे उनके मन में कोई मोटिवेशन था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मुझे यह कारण लगता है क्योंकि जब हमने मुख्य मंत्री के सामने यह कहा था तो उन्हें बुरा लगा था।

सभापति महोदय : श्री बाबूलाल जैन क्या बी०जे० पी० के अध्यक्ष हैं, लीडर हैं या पहले मिनिस्टर रहे हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : पहले मिनिस्टर रहे हैं।

सभापति महोदय : ये श्री डोंगरे क्या एम० एल० ए० हैं या अध्यक्ष हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : ये नगर अध्यक्ष हैं। एम० एल० ए० नहीं है।

सभापति महोदय : क्या आपकी यह खबर है कि पुलिस स्टेशन पर श्री बाबूलाल जैन, और श्री डोंगरे श्री फिरोजिया ये तीनों गए और उन्होंने वहां जा कर अनुरोध किया कि श्री जटिया एम० पी० को छोड़ दिया जाए, भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होगा ?

श्री सत्यनारायण जटिया : बिल्कुल नहीं है।

सभापति महोदय : आपने जेल से छूटने के बाद कोई मीटिंग की ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जेल से छूटने के बाद मेरा स्वागत किया गया था।

सभापति महोदय : क्या आपने यह भी कहा था कि आप 17 तारीख को वहां जाएंगे और अपने स्पीकर श्री जाखड़ साहब के सामने स्ट्रेचर पर ले जाए जाएंगे ? क्या इस तरह की घोषणा आपने वहां पर की थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मैंने इस तरह की कोई घोषणा वहां नहीं की।

सभापति महोदय : क्या बाबूलाल जैन अभी बी० जे० पी० में हैं और क्या उनके साथ आपकी टेलीफोन पर कोई बात हुई थी जब आप जेल में थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : वे बी० जे० पी० में हैं और उनसे मेरी टेलीफोन पर कोई बात नहीं हुई थी ?

सभापति महोदय : क्या आपके पास डा० पटवर्धन की कोई रिपोर्ट है कि आपको क्या क्या इंजरी हुई हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी यह है। यह मैं प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : क्या आपने इस घटना के बाद 15 तारीख की रात को रिपोर्ट लिखाने के लिए किसी को भेजा था ?

श्री सत्यनारायण जटिया : 16 तारीख को दिन में भेजा था।

सभापति महोदय : 15 तारीख की रात को किसी को नहीं भेजा ? आपने 16 तारीख को दिन में भेजा। क्या यह रिपोर्ट ग्रहण की गयी थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी नहीं। उसके बाद जब पुलिस अधिकारियों की आपस में बातचीत हुई तब उसे ग्रहण किया गया था।

सभापति महोदय : आपने लोक सभा में नियम 377 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य देते हुए यह कहा था कि चूंकि यह अन्तिम प्रदर्शन था, उसके बाद आप शीघ्र ही यहां आना चाहते थे तो क्या आपने इसके लिए कोई कार्यक्रम बनाया था कि आप यहां किस तरह से पहुंचना चाहते थे ?

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं 16 तारीख को यहां लोक सभा में आना चाहता था। मैं यहां से इसीलिए प्लेन से गया था कि मैं जल्दी से यहां 16 तारीख को लौट आऊं।

श्री राम सिंह यादव : यह जो रेलवे स्टेशन पर डिमांस्ट्रेशन हुआ था उसमें प्लेटफार्म पर आपके अलावा किसी और को भी चोट आयी थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरे साथ चार लोग थे। वे मुझे बचाना चाहते थे। उन्हें भी चोटें आयीं।

श्री राम सिंह यादव : उन्हें किसने चोटें मारीं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : पुलिस ने मारीं।

श्री राम सिंह यादव : क्या आपको याद है कि कितनी पुलिस थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : कुल मिला कर 50—60 लोग थे।

श्री राम सिंह यादव : उनमें कौन-कौन लोग थे। क्या उनमें सब-इंस्पेक्टर्स भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : एस० पी०, सर्किल इंस्पेक्टर और पुलिस के आदमी थे। हेड कांस्टेबल नहीं थे।

श्री राम सिंह यादव : लाठी चार्ज करने वाले ये सभी व्यक्ति थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : कौन-कौन रहा होगा मुझे पता नहीं।

श्री राम सिंह यादव : पूरे पुलिस ग्रुप ने लाठी चार्ज किया ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी हां। आठ-दस लोगों के एक ग्रुप ने।

श्री राम सिंह यादव : आप और आपके चार साथियों के अलावा बाकी जो पच्चीस आदमी थे उन में से भी किसी को चोट लगी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : बाकी जा चुके थे। और कोई नहीं था।

श्री राम सिंह यादव : जब लाठी चार्ज का आर्डर हुआ उस वक्त वहां कितने आदमी थे ?

श्री सत्यनारायण जटिया : चार थे और एक मैं।

श्री राम सिंह यादव : पांच आदमियों के लिए आठ लोगों ने लाठी चार्ज किया ?

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं आठ-दस पुलिस के लोगों ने जान बूझ कर चूंकि मेरे ऊपर लाठी चार्ज करना था इस वास्ते उन पर भी किया गया। मेरे हाथ एस० पी० ने पकड़े और अपशब्द कहे और उसके बाद लाठी चार्ज किया। और लोगों पर लाठी चार्ज करने का इरादा नहीं था। मेरी वजह से उन पर भी लाठियां पड़ीं। एस० पी० शायद मुझ से नाराज रहे होंगे।

श्री राम सिंह यादव : जब आपने लोक सभा में अपना वक्तव्य दिया था तब तो आपने यह नहीं कहा था कि एस० पी० की आपके प्रति कोई दुर्भावना थी।

श्री सत्यनारायण जटिया : तब सारे विवरण में जाने की जरूरत नहीं थी। उस समय इसके बारे में संकेत देने की आवश्यकता मैंने नहीं समझी।

श्री आर० एल० भाटिया : डिसपर्स होने से पहले कुल कितने आदमी रहे होंगे ? नेता जब संघर्ष करने जाता है तो लोग डिसपर्स नहीं होते हैं बल्कि वे खड़े रहना चाहते हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : डिसपर्सल के बाद यह निर्णय हुआ था।

निर्णय संघर्ष समिति ने लिया था। पहले पांच सात हजार की संख्या रही होगी।

श्री राम सिंह यादव : कितनी चोटें स्वय एस पी० ने आपके शरीर पर पहुंचाई ?

श्री सत्यनारायण जटिया : लाठी चार्ज के कारण ये चोटें लगी।

श्री राम सिंह यादव : कोई चोट एस० पी० ने स्वयं आपके शरीर पर मारी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं, पुलिस ने पहुंचाई। उसके माध्यम से चोटें आई। एस पी० ने लाठी चार्ज के आदेश दिये थे। उसने मेरे हाथ पकड़ कर रखे, इस कारण चोटें आई।

श्री राम सिंह यादव : क्या आप सिपाहियों को पहचानते हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : रेलवे ट्रैक पर आप डैमंस्ट्रेशन करने जा रहे थे। यह चीज एम० पी० की नार्मल ड्यूटीज में नहीं आती है। वहां से आपको क्लीयर किया। मैं इसके खिलाफ हूं कि एम० पी० पर कोई भी पुलिस अधिकारी हाथ उठाए या उसको मारे फिर चाहे वह एम० पी० किसी पी पार्टी का हो। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं। कि वह चीज आप की नार्मल ड्यूटी में एम० पी० कैसे आती है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : दोनों बातें अलग-अलग हैं। प्रदर्शन हो चुका था। मुझे जब रोका गया तब प्रदर्शन नहीं हो रहा था। मैं जब इस कार्यक्रम के बाद पार्लियामेंट में आना चाहता था तब मुझे पकड़ा गया और चोट पहुंचाई गई। दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। इनको मिलाइये नहीं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : प्रदर्शन कितनी देर चला ?

श्री सत्यनारायण जटिया : पांच मिनट।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन थी ?

श्री सत्यनारायण जटिया : नहीं थी।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जब आपको रोका गया तो बाहर जाने का जो गेट होता है उसके पहले ही रोका गया ?

श्री सत्यनारायण जटिया : गेट से पहले ही रोक लिया।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : कितनी दूर रहा होगा ?

श्री सत्यनारायण जटिया : कोई बीस चालीस मीटर रहा होगा। रेलवे पुलिस थाने के सामने यह घटना हुई।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : तब तो रेलवे पुलिस ने रोका होगा ?

श्री सत्यनारायण जटिया : एस० पी० ने रोका।

श्री राम सिंह यादव : अभी आपने कहा है कि इस एस० पी० ने आपके हाथ पकड़ लिए थे और पुलिस कर्मियों ने डंडे मारे। लेकिन आपने जो सदन में वक्तव्य दिया था उसमें जो आपने कहा था वह मैं आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं।

> "मैंने पुलिस अधीक्षक से अपनी बात कहना चाही किन्तु सुनना तो दूर रहा अपशब्दों और अभद्रतापूर्वक कहा—बदमाश गुंडे कहीं के नेतागिरी करता है तेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं। कमीने हरिजन कहीं के संसद सदस्य बन गया तो अपनी औकात भूल गया।" उसने डंडों से मेरे शरीर को घायल किया था .....

आज तो आपने इन्कार किया कि एस० पी० ने मुझे डंडा नहीं मारा। जब कि इसमें आपने कहा है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मुझे जरा पढ़ने तो दीजिये। मैंने कहा है "रेलवे पुलिस थाने के पास...."।

श्री राम सिंह यादव : आप जरा नीचे आइये। "मैंने पुलिस अधीक्षक से अपनी बात कहना चाही किन्तु सुनना तो दूर रहा अपशब्दों और अभद्रतापूर्वक कहा—'बदमाश-गुंड कहींके नेतागिरी करता है तेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं। कमीने हरिजन कहीं के संसद सदस्य बन गया तो अपनी औकात भूल गया।' उसने डंडों से मेरे शरीर को घायल किया ....."

श्री सत्यनारायण जटिया : उसके माध्यम से उसके आदेश से यह मेरे कहने का मतलब था।

श्री सोम नाथ चटर्जी : प्लेटफार्म पर जो घटना हुई तब आपने किसी लोकल प्रैसमैन को वहां देखा है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी नहीं । है

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जिन तीन यूनियन्स ने डेमान्स्ट्रेशन को आर्गेनाइज किया उनमें से आप किसी यूनियन के पदाधिकारी है ?

श्री सत्यनारायण जटिया : बी० एम० एस० का हूं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : बी० एम० एस० के नाते ही आपको डेमान्स्ट्रेशन के लिए बुलाया ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी नहीं, इस स्थानीय प्रदर्शन में मेरे संसदीय क्षेत्र में संसद सदस्य के नाते ही मैं गया था ।

सभापति महोदय : जब प्लेटफ़ार्म या रेलवे ट्रक की घटना हुई उस अवधि में आपने किसी अखबार वाले को देखा कि नहीं, चाहे लोकल प्रैसमैन ही क्यों न हो ?

श्री सत्यनारायण जटिया : जी नहीं । मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्पाट का इंस्पेक्शन कर लें ।

सभापति महोदय : समिति की यहीं बैठक होती है । इसकी कोई सब कमेटी नहीं है । यह परम्परा के बिल्कुल विपरीत प्रतिकूल है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : फिर मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा है कि वही काफ़ी है ।

(*The witness then withdrew*)

Thursday, 18 *November*, 1982

PRESENT

Shri Vijay Kumar Yadav—*In the Chair*

MEMBERS

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Jagan Nath Kaushal
4. Shri K. Ramamurthy
5. Shri Dharam Bir Sinha
6. Shri Krishna Prakash Tewari
7. Shri P. Venkatasubbaiah
8. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

WITNESSES

(1) Shri H. P. Singh,
the then Superintendent of Police,
Ujjain.

(2) Shri Ajit Raizada,
the then District Magistrate,
Ujjain.

(*The Committee met at* 10.30 *hours*)

(1) Evidence of Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police, Ujjain.

MR. CHAIRMAN: Shri H. P. Singh, you have been asked to appear before this Committee to give evidence in connection with the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the Police at Ujjain on 15 December, 1981.

I hope you will state the factual position frankly and truthfully to enable this Committee to arrive at a correct finding.

I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the Committee. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or affirmation as you like.

(*At this stage, Shri H. P. Singh, took oath*)

MR. CHAIRMAN: Have you gone through the allegation?

SHRI SINGH: Yes.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: Do you admit the allegation that he has levelled?

SHRI SINGH: No.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: Now you state in your own words what you have to state.

SHRI H. P. SINGH: मुझे यह निवेदन करना है कि मैं उज्जैन में पुलिस अध्यक्ष के पद पर तैनात था। उज्जैन की कपड़ा मिल चार महीने से बन्द पड़ी थीं जिसमें दस हजार मजदूर काम करते थे। वे मजदूर आन्दोलन कर रहे थे कि मिल चालू हो। इसके लिए वहां पर एक संघर्ष समिति बनाई गई थी जिसमें सीटू, बी० एम० एस० आदि के लोग शामिल थे। वे लोग आन्दोलन कर रहे थे कि शासन इन मिलों को जल्दी चालू कराए। आदरणीय सदस्य जटिया जी उनके सक्रिय सदस्य थे संघर्ष समिति के। उसके सिलसिले में वे जलूस निकालते थे। कभी गेट बन्द कर देते थे कभी ट्रैफिक बन्द कर देते थे। एक बार उन्होंने "उज्जैन बन्द" करवाया था जोकि शांतिपूर्ण रहा था। पिछले नवम्बर में 15 तारीख को उज्जैन बन्द कर आहूवान संघर्ष समिति ने दिया था। हमने एक दिन पहले संघर्ष समिति से मिल कर चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि बन्द शांतिपूर्ण होगा हमारी भी उन मजदूरों के साथ सहानभूति थी क्योंकि इसमें मजदूरों की रोजी-रोटी का सवाल था। 15-11 की सुबह मिल गेट पर चार हजार मजदूर इकट्ठे हुए थे और शहर में घूमना जारी कर दिया था। उन्होंने मिलों में गेट पर हमले किए और जबर्दस्ती मिल बन्द करवाई। कुछ बसों को उन्होंने रोका और डेरी डेवलपपेन्ट कापोरेशन की गाड़ी को उन्होंने पत्थर मारे ताकि कुछ आतंकी भावना पैदा हो जाए तथा बन्द को सफलता मिल सके। इस प्रकार से एक दिन पहले जो आश्वासन उन्होंने दिया था कि बन्द बड़ा शांतिपूर्ण होगा कोई तोड़-फोड़ नहीं होगी उसका उन्होंने पालन नहीं किया। हम भी यह सोच रहे थे कि बन्द शांतिपूर्ण होगा तथा हम कुछ सहानूभति भी रख थे कि उनकी मांगें पूरी हो जायें क्योंकि इसमें उनकी रोजी का सवाल था। बहरहाल 10 बजे शहीद पार्क में वे लोग मीटिंग के रूप मे परिवर्तित हो गए और जटिया जी ने उनको एड्रस किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब आप लोग जाइये और शाम को चार बजे हम फिर इकट्ठा होंगे। जब हमारे पास उनके विसर्जित होने की सूचना आई तो कन्ट्रोल रूम में जाकर जवानों से कह दिया गया कि तुम भी खाना खाओं आधा घंटे के बाद सूचना आई कि एक गुट रेलवे स्टेशन में घुस गया है। सूचना यह थी कि 100-150 मजदूर आ गये हैं जटिया जी उनके साथ हैं। वहां से 2 फरलांग की दूरी पर हमारा कन्ट्रोल रूम था। सूचना मिलने पर मैं और कलैकटर साहब तुरन्त रेलवे स्टेशन गये। वहां पर दो गाड़ियां खड़ी हुई थी और पत्थरबाजी हो रही थी। हमारे आदमी उन को वहां रोकने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि यह "बन्द" था इस लिये हम ने बाहर से भी फोर्स बुलाई हुई थी। हमारे ए० डी० एम० ने रेलवे के पब्लिक सिस्टम से घोषणा की कि आप का ऐसा करना ठीक नहीं है यह असेम्बली कानूनन नहीं है आप तितर बितर हो जायं। लेकिन उन की घोषणा का कोई असर नहीं हुआ; वे बराबर पत्थरबाजी करते रहे। हम लोग जब आग बढ़े तो देखा गया कि आदरणीय सदस्य जटिया जी जिन से हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध थे कोई कटूता नहीं थी कोई दुश्मनी नहीं थी व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं उनके साथ थे तथा दौड़ रहे थे। कुछ पुलिस के सिपाही डण्डा लेकर उस भीड़ को खदेड़ रहे थे। हो सकता है—एक-आधा डण्डा उन को लग भी गया हो। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और उन को देखा तो मैंने कहा कि ये हमारे एम० पी० हैं उन को डण्डा मत मारो। उस के बाद मैं उन को अपने साथ लेकर आया और उन से कहा कि आप जिधर से आये हैं उधर

से ही चले। इस पर जटिया जी बोले कि मैं तो इसी तरफ़ से जाऊंगा। उन्होंने चोट को दिखाया, कुछ फूला हुआ भी था। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिये, रेलवे डाक्टर को दिखाते हैं, लेकिन जिधर से आप आये हैं उधर से चलिये। अगर आप प्लेट फार्म की तरफ़ से जायेंगे तो उधर दो-ढाई हजार आदमी घुस आये हैं, वहां पर इनोसेन्ट पैसेजर्स भी खड़े हैं पत्थर बाजी से उन को नुकसान पहुंच सकता है, रेलवे प्रापर्टी भी डमेज होगी। उन्होंने प्लेटफार्म की तरफ़ से जाने के लिये ही जिद की। हम ने उन को रोका और कहा— अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको गिरफतार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमें गिरफ्तारी के लिये वारेंट दिखालाओं। मैंने कहा—सी०आर० पी० सी० 151 में मुझे आप को गिरफ्तार करने का अधिकार है। मैं उन को समझा कर बाहर ले गया लेकिन वह एरेस्ट को भी रेजिस्ट कर रहे थे गाड़ी में चढ़ने से भी इनकार कर रहे थे। बाहर भी काफ़ी भाव इकट्ठा हो गया था, पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, लिहाजा उन को जेल भेज दिया गया। वहां हम ने डाक्टर को फोन करके बुलवाया उनका डाक्टरी मुआयना करवाया उन को साधारण चोट थी।

शाम को उन की संघर्ष समिति के लोग आये और कहने लगे कि हमारी ऐसी इन्टेन्शन नहीं थी यह सब अचानक हो गया, इस लिये उन को छोड़ दीजिये। व चार-पांच घन्टे जेल में रहे और 6–7 बजे के करीब उन को छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग एटेण्ड की जबकि वहां पर दफ़ा 144 लगी हुई थी उन्होंने उसका उल्लंघन किया, तोड़-फोड़ की भी काफ़ी वारदातें वहां पर हुई। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं—हमारा उद्देश्य उन पर किसी भी प्रकार का प्रहार करना या मारना नहीं था। हम केवल यही चाहते थे कि मजदूर आन्दोलन को लेकर शहर की शान्ति व्यवस्था को भंग न किया जाय। समस्या का मुकाबला करने के लिये हमने बाहर से पुलिस फार्स को मंगाया हुआ था हो सकता है किसी ने धोखे से एक-आध डण्डा उन को मार दिया हो क्योंकि व उन को पहचानते नहीं थे। हम उन की बहुत इज्जत करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम खेद प्रकट करते हैं पुलिस की तरफ़ से व्यक्तिगत रूप से भी कमेटी से भी क्षमा चाहते हैं, हम लोग कभी भी संसद सदस्य के प्रति ऐसा काम नहीं करेंगे जिस में संसद-सदस्य की कोई तौहीन हो बेइज्जती हो, मैं तो सिर्फ उन को बचाने के लिय वहां गया था—यही मेरा निवदन है।

सभापति महोदय उन्होंने अपनी एलीगेशन में कहा है—

'I wanted to talk to the Police Superintendent. What to say of listening, he used abusive language.'

"बदमाश, गुण्डे कही के, नेतागिरी करता है, मेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं। कभीने हरिजन कही के, संसद सदस्य बन गया है तो अपनी औकात भूल गया है"

इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री एच० पी० सिंह: मैंने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो उन को निवेदन किया था कि आप उधर से मत जाइये, जिस रास्ते से आये हैं उधर से जाइये। मैंने वहां अपने लोगों से कहा कि इन के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिये, ये हमारे संसद सदस्य हैं।

मुझे एक निवेदन और करना है—उस के बाद जटिया जी ने एक प्रेस-कान्फ्रेंस बुलाई थी और उस में प्रैस ने एक फोटो छापी थी । आप उस फोटो का अवलोकन कर लें, यह फोटो वहां के लोकल प्रेस ने छापी है, मैं उसकी कटिंग लाया हूं ....

सभापति महोदय : इस बात को कैसे जस्टीफाई करेंगे कि यह उसी दिन छपी है। आप ऐसे करें कि जिस लोकल-प्रेस में छपी है उस दिन के अखबार की कापी कमेटी के पास भेज दें ।

श्री एच० पी० सिंह : वहां जा कर भेज दूंगा ।

सभापति महोदय : ठीक है वहां से भेज दीजिये ।

श्री के० पी० तिवारी : यह तो फोटो-स्टेट कापी है—इसको लेने में क्या हर्ज है, इस को ले लीजिये ।

श्री एच० पी० सिंह : मुझे एक निवेदन और करना है । उन्होंने लोक सभा में कोई एप्लीकेशन दी थी कि मैं और मेरे सी० एस० पी० ता० 13 फरवरी, को उनके घर गये, उनके घर में नाक किया और कहा कि हम उन को पकड़ने आये हैं । ता० 13 फरवरी, को मैं भोपाल में था । ता० 10 फरवरी से ता० 15 फरवरी तक मैं भोपाल में ड्यूटी पर था ।

सभापति महोदय : लेकिन इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथ कौशल : जो डाकुमेन्ट्स आप पेश करना चाहें, वे पेश कर दें ।

You have said that before this particular incident you held Shri Jatiya in high esteem, you gave him all respect and that you had very cordial relations with him. Is it correct?

SHRI H. P. SINGH: Yes.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: Then why is it that he levelled these allegations against you, when you had the best of relations with him and you always showed him respect?

श्री एच० पी० सिंह : साहब मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। इसका कारण जानने की मैंने कोशिश भी की ।

श्री जगन्नाथ कौशल : इसके मुतल्लिक आपकी उनसे कोई बात हुई ?

श्री एच० पी० सिंह : मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई । मेरी तो हालत बहुत खराब हो गयी है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप नहीं कह सकते कि उन्होंने आपके खिलाफ यह आरोप क्यों लगाया ?

"Near the Railway Police Station Shri H. P. Singh, District Police Superintendent, Ujjain, without listening to me, caught hold of my both hands and ordered the policemen

to lathi charge me. The first blow was made on my head, the second blow was made on my right thigh and the third was on my left foot, below the knee, as a result of which I fell down. The people accompanying me ran to cover me in order to save me. They along with me received a number of injuries. I was hit with lathis on my head, both hands, elbow of my right hand, right thigh and knee and ankle ..... I was severely injuried:. I wanted to talk to the Police Superintendent, but what to say of listening he used abusive language and shouting in a very insulting tone....."

उनका जो यह कहना है कि उनके दोनों हाथ आपने पकड़ लिये और आपने पुलिस वालों से कहा कि उनको मारो, आप अब इस आरोप से क्या इंकार कर रहे हैं ?

मैं फिर आप से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन के साथ आपका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और जिनकी कि आप हमेशा इज्जत करते रहे, उन्होंने आपके खिलाफ़ यह आरोप कैसे लगाया कि आपने उनके दोनों हाथ पकड़ कर पुलिस वालों से कहा कि इनको मारो ?

श्री एच० पी० सिंह : मैंने तो बल्कि उनको बचाया। मैंने अपने आदमियों को ऐसा नहीं कहा।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप अभी तक यह नहीं समझ पाये कि उन्होंने आप पर यह इल्जाम क्यों लगाया ?

श्री एच० पी० सिंह : मैं नहीं समझ पाया।

श्री जगन्नाथ कौशल : कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले आपके साथ कौन-कौन अफसर मौजूद थे ?

श्री एच० पी० सिंह : ए० डी० एम० मिश्र जी थे।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या कलेक्टर साहब आपके साथ गये ?

श्री एच० पी० सिंह : वे तो हमारे साथ गये। चूंकि चौकी स्टेशन में ही दस कदम की दूरी पर मौजूद थी, वे वहां पर फोन करने गये। मैंने ही कलेक्टर साहब को कहा था कि फोन करके फोर्स बुलाया लीजिए। वे फोन करने थाने पर चले गए। वहां से उन्होंने डाक्टर को भी फोन किया।

श्री जगन्नाथ कौशल : जब उनको नोट आयी तो आप कहां थे ? उस वक्त कलक्टर साहब कहां थे ?

श्री एच० पी० सिंह : जब हम वहां पहुंचे तो हमारे सामने उनको कोई चोट नहीं आयी। उस समय तो झगड़ा मची हुई थी।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या आपके वहां पहुंचने से पहले सिपाही उनको मार चुके थे ? क्या यह बात आपको बतायी गयी थी ?

श्री एच० पी० सिंह : यह हमको बताया गया था। उनके साथ चार-पांच लोग थे।

श्री जगन्नाथ कौशल : वे चार पांच लोग कौन थे ? उनके नाम क्या हैं ?

श्री एच० पी० सिंह : उनमें एक श्री राजेन्द्र रघुवंशी थे। बाकी के नाम हमें याद नहीं आ रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपने श्री रघुवंशी का नाम बताया और बाकी के नाम आपको याद नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बाकी के नाम बता देता हूं, शायद आपको याद आ जाएं।

श्री हरिवल्लभ बंसल, श्री राजेन्द्र रघुवंशी, श्री रामेश्वर गहलोत, श्री किशोर लश्करी क्या उनके साथ थे ?

श्री एच० पी० सिंह : ये चार आदमी थे।

श्री जगन्नाथ कौशल : ये चार आदमी कौन हैं ?

श्री एच० पी० सिंह : ये चार आदमी उनके कार्यकर्त्ता हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या इनको भी डाक्टरी रिपोर्ट है कि इनको भी चोटें आयी।

श्री एच० पी० सिंह : जी हां।

श्री जगन्नाथ कौशल : इस घटना की इंक्वायरी क्या गवर्नमेंट ने भी की है ?

श्री एच० पी० सिंह : कोई नहीं की।

श्री जगन्नाथ कौशल : आज से पहले किसी अधिकारी ने आपका बयान लिखा है ?

श्री एच० पी० सिंह : किसी ने नही लिखा हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपकी गवर्नमेंट ने कन्ट्रेरी वर्शन भेजा है। इस वर्शन को भेजने से पहले क्या आपका बयान किसी अधिकारी ने रिकार्ड नहीं किया ?

श्री एच० पी० सिंह : किसी ने नहीं किया।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या आप यह बता सकते हैं कि उन लोगों ने जो रेल रोकने की कार्यवाही की, वह कितनी देर की ? आपने कहा हैं कि वे लोग रेल ट्रेक पर लेट गये थे। उन्होंने कितनी देर तक गाड़ियां को रोके रखा ?

श्री एच० पी० सिंह : कोई दस मिनट तक रोके रखा।

श्री जगन्नाथ कौशल : जब वहां पर असेम्बली को अनलाफुल डिक्लेअर किया गया तो वहां से कितने लोगों ने डिस्पर्स करने से इंकार किया और आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया ?

श्री एच० पी० सिंह : चार उनके कार्यकर्ता थे जो कि अभी बताये गये हैं और श्री जटिया थे। ये पांच आदमी थे जिनको कि पकड़ा गया था। बाकी के लोग डिस्पर्स हो गये थे।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह बताइये कि कलेक्टर साहब ने कितना वाक्या देखा ?

श्री एच० पी० सिंह : वह हमारे साथ थे और उन्होंने पूरा वाक्या देखा था।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या यह कलेक्टर वहां एक साल से है, जब से कि आप वहां हैं ? क्या एक साल पहले ही वहां आप किसी और जगह से ट्रांस्फर होकर आये हैं ?

श्री एच० पी० सिंह : जी हां।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप हमें एक बात बताइए कि गवर्नमेंट ने जब हमारे पास भेजा, वह किस आधार पर भेजा क्योंकि आप का बयान तो लिया नहीं गया।

श्री एच० पी० सिंह : हमने रिपोर्ट भेजी है।

श्री जगन्नाथ कौशल : उस रिपोर्ट की कापी लाए हैं ?

श्री एच० पी० सिंह : वह कलेक्टर साहब ने भेजी है।

श्री जगन्नाथ कौशल : किस दिन दी है ?

श्री एच० पी० सिंह : 17 या 18 को दी है। वायरलैस भेजा है।

श्री जगन्नाथ कौशल : वायरलैस किसने भेजा है ?

श्री एच० पी० सिंह : ज्वाइंट, कलैक्टर और एस० पी०, दोनों ने मिलकर भेजा है।

श्री जगन्नाथ कौशल : जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भेजी है, उसकी कापी किस के पास है ?

श्री एच० पी० सिंह : कलैक्टर साहब के पास होगी। मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ कौशल : इस रिपोर्ट के आधार पर कोई केस रजिस्टर हुआ है ?

श्री एच० पी० सिंह : एक केस रजिस्टर हुआ है। उसकी कापी भी मैंने लगा दी है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। उनके जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमने रेलवे और एयरपोर्ट से पूछा था। उन्होंने कहीं रिजर्वेशन कराया हो। मैडिकल रिपोर्ट भी लगाई है।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपकी मौजूदगी में जटिया साहब को कोई चोट किसी अधिकारी ने दी है ?

श्री एच० पी० सिंह : हमारी मौजूदगी में बिलकुल नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या यह सच है कि जटिया साहब को मारा किसी ने नहीं और प्लेट फार्म पर चढ़ते समय गिर गए और उन को चोटें आई ?

श्री एच० पी० सिंह : उनको चोटें दो किस्म की आई हैं।

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Is it correct that Mr. Jatiya was trying to climb the platform, he fell down and he sustained injuries?

श्री एच० पी० सिंह : यह सही है।

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: When the police was trying to arrest him when he was trying to lie down and was resisting the arrest, was he given the injury at that time?

श्री एच० पी० सिंह : उनको खरोचें आई हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं यह पूछ रहा हूं उनको किसी ने मारा है या नहीं ?

श्री एच० पी० सिंह : उस वक्त उनको किसी ने नहीं मारा।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप वहां मौजूद थे ? यदि नहीं थे, तो कितनी दूरी पर थे ?

श्री एच० पी० सिंह : मैं काफी दूरी पर था। वहां से क्लीयरली दिखाई दे रहा था। उनको किसी ने मारा नहीं है। प्लेटफार्म पर चढ़ते हुए गिरे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह भी आपने देखा है ?

श्री एच० पी० सिंह : जी, देखा है।

श्री के० पी० तिवारी : ट्रेन कितने बजे आनी थी ?

श्री एच० पी० सिंह : सवेरे 11 बजे आती है।

श्री के० पी० तिवारी : शहर में उसके बाद जलूस निकला या उसके पहले निकला

श्री एच० पी० सिंह : जलूस सवेरे 6 बजे निकला और 10 बजे खत्म हो गया। 11 बजे ट्रेन जाने वाली थी।

श्री के० पी० तिवारी : कौन सी ट्रेन थी ?

श्री एच० पी० सिंह : उज्जैन-नागदा, इन्दौर नागदा।

श्री के० पी० तिवारी : इसको रतलाम और भोपाल भी कहते हैं।

श्री एच० पी० सिंह : जी हां।

श्री के० पी० तिवारी : क्या यह सही है कि मंत्री जी आए थे, उनसे जटिया साहब बात कर रहे थे और बीच में आपने टोका था ?

श्री एच० पी० सिंह : नहीं महोदय, ऐसी कोई घटना नहीं हुई । हमने उनको मंत्री जी से मिलवाया था और वे अच्छी तरह से बात चीत करके चले गए।

सभापति महोदय : आपने कितनी इन्जरी देखी है, उनके शरीर पर ?

श्री एच० पी० सिंह : दो-चार चोटें आई हैं।

सभापति महोदय : रिपोर्ट में कहा गया है कि कितनी इन्जरी ऐसी समझते हैं जो पुलिस के मारने की वजह से आई और कितनी गिरने की वजह से हुई ?

श्री एच० पी० सिंह : मेरे ख्याल से एक-दो चोटें पुलिस की वजह से आई होंगी ।

सभापति महोदय : आपके सामने गिरे या आपके पहले ही गिर चुके थे ?

श्री एच० पी० सिंह : हमने दूर से देखने की कोशिश की। वे गिर कर बैठ गए।

सभापति महोदय : रिपोर्ट में है कि उनके माथे पर चोट आई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ? वह तो गिरने से नहीं आ सकती है।

श्री एच० पी० सिंह : जी, हां। वह गिरने से तो नहीं आ सकती है। जरूर लगी है।

सभापति महोदय : यह जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है इसमें इस बात का जिक्र है कि जो चोटें लगी हैं सब सेल्फ इंफ्लेक्टेड इंजुरीज हैं। तो इसका मतलब यह रिपोर्ट सही नहीं है ?

श्री सिंह : रिपोर्ट के बारे में मुझ को कोई जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय : स्टेशन पर ये लोग कितनी देर रुके ?

श्री सिंह : आधा घंटा करीब प्लेटफार्म पर और आधा घंटा करीब रेलवे ट्रेक पर इस तरह करीब एक घंटा ये लोग रुके।

सभापति महोदय : आप लोग कितनी देर रुके ?

श्री सिंह : हम लोग आधा पौना घंटा रुके। घटना के 15-20 मिनट बाद ही हम लोग वहां पहुंच गए थे।

श्री जैनुल बशर : आपने बताया कि पुलिस वालों ने 2–4 डंडे जटिया साहब को मारे, क्योंकि वे पहचानते नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 2–4 डंडे क्यों मारे थे।

श्री सिंह : ये लोग रेलवे ट्रेक पर लेट गए थे और गाड़ियां रोक ली थीं। ड्रम वगैरह भी डाल दिए थे और पथराव हो रहा था। ट्रैक को क्लीयर करने के लिए ऐसा किया गया।

श्री जैनुल बशर : लेटने वालों में जटिया साहब थ ?

श्री सिंह : हां, वे भी लेटे थे। उनको उठाने में चोट लग गई थी।

सभापति महोदय : जो फोर्स वहां पर थी, उनके साथ कोई पुलिस अधिकारी था ?

श्री सिंह : बहादुर सिंह पुलिस इंस्पेक्टर उनके साथ थे।

सभापति महोदय : ये बाहर से आए हैं ?

श्री सिंह : जी नहीं, वहीं के हैं।

सभापति महोदय : तब तो वे जटिया साहब को पहचानते होंगे ?

श्री सिंह : जी हां, वे पहचानते थे।

सभापति महोदय : उन्होंने इस मार-पीट को रोकने के लिए क्या किया, इसके बारे में क्या आपने उनसे जवाब-तलब किया ?

श्री सिंह : उन्होंने बताया कि मैंने जटिया साहब को समझाया कि वे यहां से चले जाएं।

श्री जैनुल बशर : जटिया जी ने अपने बयान में कहा है कि मैंने पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत की। क्या जटिया साहब ने आपसे शिकायत की थी ?

श्री सिंह : उन्होंने कहा था कि हमको पुलिसवालों ने मारा है।

श्री जैनुल बशर : जटिया साहब का कहना है कि आपने उनके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने उस इंस्पेक्टर से क्या कोई पूछताछ की, कोई जवाब तलब किया ?

श्री सिंह : हम लोगों ने उनसे पूछा था। इंस्पेक्टर का कहना था कि मैं लोगों को रोकने लिए चला गया था, इसी बीच में यह घटना हो गई।

श्री जैनुल बशर : आप जिस समय स्टेशन पर पहुंचे उस समय जटिया साहब कहां थे ?

श्री सिंह : ट्रैक पर बैठे हुए थे।

श्री जैनुल बशर : आपने जब इनको रिलीज किया, उसके बाद क्या इन्होंने कोई मीटिंग की ?

श्री सिंह : जी हां, जुलूस के बाद मीटिंग की थी।

श्री जैनुल बशर : उस मीटिंग में इन्होंने क्या कहा ?

श्री सिंह : उस मीटिंग में मैं नहीं था।

श्री जैनुल बशर : मीटिंग के बारे में कोई रिपोर्ट तो होगी कि क्या भाषण हुआ था ?

श्री सिंह : रिकार्ड में अवश्य होगी।

श्री जैनुल बशर : और कोई पुलिस अधिकारी य कलेक्टर उस मीटिंग में था ?

श्री सिंह : जी नहीं, कोई नहीं था।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : अभी आपने कहा कि श्री जटिया ट्रेक पर बैठे हुए थे और पहले आपने कहा कि पुलिस वाले उनको खदेड़ रहे थे और वे भागे जा रहे थे।

श्री सिंह : हमने खदेड़ते हुए 200 गज दूर से देखा था। जब हम वहां पहुंचे तो वे बैठ गए थे।

सभापति महोदय : जब ट्रेक और प्लेटफार्म मिले हुए हैं तो फिर गिरने का प्रश्न कैसे उपस्थित होता है।

श्री सिंह : प्लेटफार्म करीब 3 फुट ऊंचा है ट्रेक से।

सभापति महोदय : गाड़ियां रोक रहे थे ?

श्री सिंह : मेरे सामने नहीं रोक रहे थे।

सभापति महोदय : जहां वे गिरे थे, वहां पर खून पड़ा हुआ था ?

श्री सिंह : नहीं, खून वगैरह नहीं था।

अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जटिया जी को चोट पहुचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। यह धोखे से हुआ है। इसका मुझे बड़ा दुःख है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हमारा इरादा खराब नहीं था, सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह किया गया। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके और हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। इसके पहले भी उन्होंने कई बार जुलूस निकाले, मीटिंग्स की, लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं हुई। उस दिन उनको जो चोट लगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

सभापति महोदय : इससे पहले भी कभी रोड जाम हुआ था ?

श्री सिंह : कई बार ऐसा हुआ है, कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। हम लोग हमेशा शांति से काम निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी नौबत पहले कभी नहीं आई। हम लोग अगर मौजूद रहते, तो व्यवस्था कर लेते। इसमें हमारे भी 5–6 लोग घायल हुए हैं। अगर जटिया साहब हमें बता देते कि उन्हें स्टेशन जाना है, तो हम व्यवस्था कर देते और उन को कोई चोट न आ पाती। 10 हजार मजदूरों का जुलूस पहले भी निकला था लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी हालांकि 2–2 और 4–4 घंटे ट्रेफिक जाम हो गया था। हम ने उनकी कोई इन्सल्ट नहीं की और न ही फोर्स का इस्तेमाल किया और हमारा उद्देश्य उन को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो माफ कर दिया जाए, भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप का स्टेटमेंट रिकार्ड हो गया है। अब आप जा सकते हैं।

(The witness then withdrew)

(2) Evidence of Shri Ajit Raizada, the then District Magistrate, Ujjain.

MR. CHAIRMAN: Shri Ajit Raizada, you have been asked to appear before this Committee to give evidence in connection with the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the Police at Ujjain on 15 December, 1981.

I hope you will state the factual position frankly and truthfully to enable this Committee to arrive at a correct finding.

I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the Committee. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or affirmation as you like.

SHRI RAIZADA: I, Ajit Raizada, swear in the name of God that the evidence that I shall give in this case shall be true and that I shall conceal nothing and no part of my evidence will be false.

MR. CHAIRMAN: Have you gone through the allegation of Shri Jatiya, M.P.? What have you to say about that incident?

SHRI RAIZADA: I have prepared a written statement which I want to hand over.

I would give my verbal statement also. I would not read it (written statement).

There are two textile mills in Ujjain—Vinod and Vimal. They had been virtually closed for more than a year. About 8,000 workers had been jobless. Therefore, several mazdoor unions decided to form a Sangharsh Samiti. They started agitation for the re-opening of the mills. One 'bund' had already taken place in October. This was the second call for Ujjain Bund given in December, 1981. The date fixed was 15th December. As a precautionary measure we had rounded up anti-social element on the night of 14th.

We had already met the leaders of the Sangharsh Samiti a day before and they had proposed that the 'bund' will be absolutely peaceful, we did not consider it necessary to promulgate prohibitory orders.

Considering our past experience also we thought that since it was a cause which had sympathy of everybody and there was no untoward incident earlier, this prohibitory order would not be very necessary. But on the morning of 15th December, we started getting reports of sporadic incidents of violence like stone throwing on the buses of M.P. S.R.T.C. and offices which opened in the morning; so much so that the labour of other mills proceeding in the buses were forced to get down and join the procession. Then they walked in a procession, reached Shaheedi Park. At 10 a.m. Speeches were delivered by the leaders including the hon. member of Parliament. Then it was announced that the meeting was over and another meeting would take place at around 3 p.m., the same day which will be addressed *inter alia* by Shri Satyanarayan Jatiya. So every-body had dispersed from that place. We were sitting in the control room and had ordered that food be distributed to the members of the police who were on duty since morning. Hardly had we done so, we got a report on the wireless that a section of the crowd led by the hon. Member had proceeded towards the Railway Station. The other leaders had dispersed. So, we rushed to the Railway Station where some police force had already been posted. When we reached the spot we found that wooden sleepers and drums were placed on the railway track. Mr. Jatiya was lying on the railway track and stone-throwing was going on. Before we reached the spot, a mild cane-charge had already taken place. So I told the ADM to announce over the public address system that the assembly was unlawful and unless they clear the track within 5 minutes, action would be taken to do the same. By the time this was done, about 2,000 people had gathered and stone-throwing had become intensive. Many of the police personnel had got injured. So. I went to the Station Master room and asked him to summon the doctor of the Railways.

In the meantime, the hon. Member of Parliament got up from the railway track and tried to climb the railway platform. But he could not do so because there was police on the railway platform who was trying to prevent him from coming on the platform and he slipped. But since his supporters were there, they tried to push him up and ultimately he had climbed the platform. By the time, the S.P. reached there and told him that it would be better if he got back by the same route through which he had come because two trains were already standing on the railway platform and pas-

sengers and police personnel had got injuries and the atmosphere had an air of violence. He said, it would not be proper if he tried to force his way through the platform. But the hon. Member refused. Then the ADM declared him arrested under Section 151 Cr. P.C. and requested him to accompany him to the jail. On this, the hon. Member refused to accompany the ADM. He lay on the platform and said that he should be physically removed; otherwise he would not go. But after some persuasion, he got up and walked out of the platform with about five or six supporters. But outside the platform, again he refused to climb into the police van. In the meantime, other people had gathered. Stone-throwing had started again; soda-water bottles were thrown around. And with great difficulty he was taken to the jail. As soon as he reached there, he was examined by the doctor of the jail who found five simple injuries on his person and gave him immediate medical aid. On the request of the members of the Sangharsh Samiti, the hon. Member was released in the evening itself. He had promised that he would not address any public meeting. But unfortunately in the night, he again led a procession from the jail itself and in violation of the prohibitory orders, he convened a public meeting. The next morning he held a Press conference and got himself photographed. The photograph taken on that day would show only simple injuries on his leg. Later on, we learned from the newspaper that about five days after the incident, the hon. Member came to Parliament and complained against the alleged mis-behaviour of the police and the murderous assault on him.

I would only humbly submit that this alleged breach of privilege and murderous assault is not based on facts as they took place on that fateful day because the relations between the Sangharsh Samiti and the district administration had always been very cordial which was evident from the fact that we did not consider it necessary to promulgate the prohibitory orders. After the meeting, all the leaders had dispersed and it was a sudden departure from the agreed plan that the hon. Member went to the Station and this incident took place. We on our part tried to provide him medical aid as soon as possible. Since there was nothing serious and the leaders had promised that nothing would happen, the hon. Member was released in the evening itself.

I would submit that the police had no intention of harassing or physically harming the hon. Member. In spite of these things, if the hon. Member felt that there was some cause or something which did not come up to the expectation I would express regrets on behalf of

the district administration because we had really no intention of causing him any injury or any mental anguish.

Thank you.

श्री कृष्णा प्रकाश तिवारी : आप और एस० पी० दोनों साथ-साथ स्टेशन पहुंचे थे ?

श्री अजित रायजादा : जी हां।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : जब आप लोग वहां पहुंचे, तो जटिया साहब को कहां पाया ?

श्री अजित रायजादा : जटिया साहब, रेलवे पटरी से उठ कर प्लेटफार्म की तरफ आ रहे थे।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : पटरी पर नहीं बैठे थे ?

श्री अजित रायजादा : उस समय नहीं बैठे थे।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : प्लेटफार्म पर चढ़ चुके थे या नहीं ?

श्री अजित रायजादा : प्लेटफार्म पर नहीं चढ़े थे।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : कुछ सिपाही उन का पीछा कर रहे थे ?

श्री अजित रायजादा : सिपाही जो पटरी पर तैनात थे वे पत्थर फेंकने वालों की तरफ भाग रहे थे और जटिया साहब अपने समर्थकों के साथ प्लेटफार्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : कितने समर्थक होंगे, जो उन के साथ चढ़ रहे थे ?

श्री अजित रायजादा : करीब 5–6।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : उस समय उन के चोट आ गई थी।

श्री अजित रायजादा : कोई खून नहीं बह रहा था। बहरहाल चढ़ने की कोशिश में नीचे जरूर गिरे थे और उस के बाद नीचे से ऊपर आए।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : जब ऊपर चढ़े थे, तब भी आप ने खून नहीं देखा था।

श्री अजित रायजादा : जी हां।

श्री जैनुल बशर : इस घटना की सूचना आप को कब मिली थी और कहां मिली थी ?

श्री अजित रायजादा : हम लोग पुलिस कन्ट्रोल रूम में थे लगभग 11 बजे जब इसकी सूचना मिली।

श्री जैनुल बशर : सूचना मिलते ही आप स्टेशन की तरफ चल दिये।

श्री अजित रायजादा : जी हां।

श्री जैनुल बशर आप के साथ कौन-कौन थे?

श्री अजित रायजादा : एस० पी० और ए० डी० एम०।

श्री जैनुल बशर : आप लोग सीधे स्टेशन पहुंचे।

श्री अजित रायजादा : जी हां।

श्री जैनुल बशर : स्टेशन पहुंच कर सब से पहले आप ने क्या देखा? उस वक्त क्या हो रहा था?

श्री अजित रायजादा : उस वक्त श्री जटिया और उन के समर्थक पटरी से उठ कर प्लेटफार्म की तरफ आ रहे थे। पत्थर फेंके जा रहे थे और पुलिस पत्थर फैंकने वालों को चेज कर रही थी।

श्री जैनुल बशर : जटिया साहब उस समय कहां थे?

श्री अजित रायजादा : पटरी से उट कर प्लेटफार्म की तरफ आ रहे थे।

श्री जैनुल बशर : आप और एस० पी० दोनों साथ-साथ चल रहे थे।

श्री अजित रायजादा : एस० पी० साहब थोड़ा आगे गये थे और मैं ए० डी० एम० साहब को इंस्ट्रक्शन दे रहा था।

श्री जैनुल बशर : जटिया साहब आपसे मिले थे?

श्री अजित रायजादा : जी नहीं।

श्री जैनुल बशर : क्या जटिया साहब को कोई चोट आई थी?

श्री अजित रायजादा : मुझे कोई चोट निश्चित रूप से नहीं दिखाई दी।

श्री जैनुल बशर : स्टेशन पर कोई तोड़-फोड़ हो सकती है—इस प्रकार की कोई सूचना आपको पहले मिली थी?

श्री अजित रायजादा : इस प्रकार की तो कोई सूचना नहीं थी। लेकिन इस घटना से एक घंटा पहले कुछ लोगों ने रेलवे स्टाल को पत्थर फेंक कई क्षति पहुंचाई थी।

श्री जैनुल बशर : जब आप वहां पहुंचे तो क्या आपने यह देखा कि वे गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे?

श्री अजित रायजादा : गाड़ी तो दो पहले से खड़ी थी और उनके आगे ड्रम्स रखे थे। जैसे ही इस प्रकार की सूचना मिली थी ट्रेन्स रतलाम और भोपाल में ही रुक गई थीं।

श्री जैनुल बशर : जो गाड़ी आई थी उनको किस प्रकार से रोकने की कोशिश की गई?

श्री अजित रायजादा : गाड़ी के आगे ड्रम्स रख दिए थे।

श्री जैनुल बशर : ऐसा तो नहीं है कि जटिया साहब कहीं जाने वाले हों और उनको भेजने के लिए लोग आए हों ?

श्री अजित रायजादा : मैंने रिपोर्ट में भी लिखा है कि पहले जो घोषणा की गई थी उसमें यह कहा गया था कि तीन बजे मीटिंग होगी और जटिया साहब उसमें उपस्थित रहेंगे। इसलिए एसी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं हुई कि वे कहीं बाहर प्रस्थान करेंगे। दूसरे मैंने इस बात का भी पता लगाया था कि उज्जैन स्टेशन से जो गाड़ियां जाती थीं उनमें माननीय सदस्य का कोई रिजर्वेशन नहीं था। इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि उस दिन माननीय सदस्य का दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था।

सभापति महोदय : क्या स्टेट गवर्नमेंन्ट ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी थी और आपने रिपोर्ट दी थी और क्या उसकी कापी आपके पास है ?

श्री अजित रायजादा : लोक सभा में माननीय अध्यक्ष के सम्मख माननीय सदस्य ने जो शिकायत की थी, उसके सन्दर्भ में मैंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी कापी यहां पर नहीं है।

सभापति महोदय : स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी के पास रिपोर्ट भेजी है, इसकी जानकारी आपको है ?

श्री अजित रायजादा : रिपोर्ट भेजी गई है, इसकी जानकारी है।

सभापति महोदय : आपके अलावा किसी और से भी जांच-पड़ताल की गई है।

श्री अजित रायजादा : जी नहीं।

सभापति महोदय : आपने जो कहा है कि रेलवे ट्रैक पर स्लीपर और ड्रम्स रखे थे, गवर्नमेंट की रिपोर्ट मे तो उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री अजित रायजादा : मैं तो यही कह सकता हूं कि रिपोर्ट को कन्साइज करने की वजह से यह बात रह गई होगी।

सभापति महोदय : यह बात तो कोई साधारण नहीं है कि आब्स्ट्रक्शन के लिए ट्रेक पर ड्रम्स और स्लीपर रखे गए हों और रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र किया जाए।

श्री अजित रायजादा : जो वायरलेस मेसेज गवर्नमेन्ट के पास भेजी गई उसमें इस बात का जिक्र है लेकिन जो रिपोर्ट बाद में भेजी गई उसमें उस बात का जिक्र नहीं है।

सभापति महोदय : किस तारीख को रिपोर्ट भेजी गई थी ?

श्री अजित रायजादा : 16 तारीख को।

सभापति महोदय : रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचे तो कितनी देर वहां पर रहे ?

श्री अजित रायजादा : आधा घंटा।

सभापति महोदय : उसके बाद कहां गए ?

श्री अजित रायजादा : कन्ट्रोल रूम पर गए। उसके बाद फिर स्टेशन नहीं गए।

सभापति महोदय : आप स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के आफिस में रहे ?

श्री अजित रायजादा : जी हां।

सभापति महोदय : फिर तो आप नहीं कह सकते कि पुलिस और जटिया साहब के बीच में क्या हुआ।

श्री अजित रायजादा : मेरे सामने तो जटिया साहब रेलवे लाइन से उठकर रेलवे प्लेटफार्म पर आने की कोशिश कर रहे थे और कुछ सिपाही उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे।

सभापति महोदय : इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कह सकते कि जटिया साहब को कैसे चोट लगी और क्या इन्जरीज हुई—इसकी जानकारी तो आपको नहीं है ?

श्री अजित रायजादा : मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि रेलवे लाइन के पास जो केन-चार्ज हुआ उसमें हो सकता है माननीय सदस्य को कुछ चोट आई हो लेकिन वह कोई ऐसी चोट नहीं थी जोकि ऊपर से देखने से मालूम हो सके।

सभापति महोदय : डाक्टर ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें ब्लीडिंग पाया गया या नहीं ?

श्री अजित रायजादा : डाक्टर की रिपोर्ट उस में दी हुई है।

सभापति महोदय : आप ने कहा है कि आप दोनों कन्ट्रोल रूम से साथ-साथ चले और साथ-साथ प्लेटफार्म पर पहुंचे। लेकिन हम से वह कहा गया है कि आप पास के किसी थाने में टेलीफोन करने के लिये गये—दोनों में क्या सच है ?

श्री अजित रायजादा : जहां तक मुझे याद है कि हम लोग तो साथ ही गये थे। स्टेशन बहुत पास है, इस लिये रास्ते में कहीं रुकना ठीक नहीं लगता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का कहना है —

"I wanted to talk to the Police Superintendent. He used abusive language like Badmash, Goonda etc".

"बदमाश गुण्डे कहीं के, नेतागिरी करता है। मेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं। कमीने हरिजन कहीं के, संसद सदस्य बन गया है तो अपनी औकात भूल गया है।"

इस के बारे में आप को क्या कहना है ?

श्री अजित रायजादा : जहां मैं खड़ा था, वहां से स्पष्ट बातचीत तो सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा लगता था, वह यह कहना चाहते थे कि "मैं यहां से जाऊंगा।" एस० पी० यह कहते थे कि आप यहां से नहीं जायेंगे। इसके अतिरिक्त उन में क्या बातचीत हुई—इस के सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

सभापति महोदय : ऐसा कहा गया है कि एम० पी० ने कालर पकड़ लिया और पुलिस को कहा कि इन को मारो।

श्री अजित रायजादा : मैंने यह देखा था कि एम० पी० साहब हाथ आगे कर के उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कालर पकड़े हुए मैंने उनको नहीं देखा।

सभापति महोदय : एस० पी० और आप के साथ एम० पी० साहब के कैसे रिलेशन्स रहे हैं?

श्री अजित रायजादा : हम लोगों के सम्बन्ध बहुत अच्छे थे, क्योंकि संघर्ष समिति की जो बैठकें होती थीं, उस में वे आया करते थे। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे कहा जा सके कि एस० पी० ने इस प्रकार का व्यवहार किया हो।

सभापति महोदय : इस तरह की घटना का फिर क्या कारण हो सकता है।

श्री अजित रायजादा : व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण हो सकता है। माननीय सदस्य शायद यह चाहते थे कि प्लेटफार्म से जायेंगे तो यह सिद्ध हो सकेगा कि जो शोकन डिमांस्ट्रेशन वह करना चाहते थे, वह सफल रहा है, क्योंकि पुलिस उस को नहीं होने देना चाहती थी। या आपस में जो मिसअण्डरस्टेंडिंग हो गई थी—वह भी इस का कारण हो सकता है।

सभापति महोदय : क्या आप के सामने जटिया साहब गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे?

श्री अजित रायजादा : मेरे सामने नहीं कर रहे थे। मेरे सामने तो वे प्लेटफार्म की तरफ़ आ रहे थे।

सभापति महोदय : आप ने गवर्नमेन्ट को जो रिपोर्ट दी क्या उस के लिये आप की आपस में कोई बात हुई थी?

श्री अजित रायजादा : हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इस तरह का है कि कलैक्टर और एस० पी० दोनों ला-एण्ड-आर्डर में साथ-साथ रहते हैं। दिन भर जो घटनायें होती है या जैसे-जैसे घटनायें होती हैं वे ज्वाइन्टली वायरलैस भेजते हैं। इस बात की सम्भावना चूंकि हम लोगों को नहीं थी कि माननीय सदस्य इस प्रकार का प्रिवलेज मोशन लायेंगे, इस लिये जसी घटना उस समय हुई थी वैसा ही वायरलैस हम ने तुरन्त भेज दिया था।

सभापति महोदय : इस घटना के सम्बन्ध में आप तथा एस० पी० साहब में कोई बात हुई या नहीं? मेरा मतलब है ब्रीच-आफ प्रिवलेज का मोशन आने के पहले तथा बाद में आप के बीच कोई बातचीत हुई?

श्री अजित रायजादा : बात हुई थी, क्योंकि हम दोनों साथ-साथ थे।

सभापति महोदय : क्या आप को ऐसी जानकारी मिली कि पुलिस ने उनको पीटा था?

श्री अजीत रायजादा : चूंकि वह भी मेरे साथ ही गये थे, इस लिये इतनी जानकारी जरूर हुई कि जो केन-चार्ज हुआ उस में शायद कुछ चोट उन को लगी हो।

सभापति महोदय : गिरफ्तारी के बाद उन को शाम को छोड़ दिया गया। उस के बाद कोई आम सभा हुई जिस को उन्होंने एड्रेस किया। वहां पर जडिया साहब ने जो भाषण दिया था उस मीटिंग की कोई रिपोर्ट आप के पास है?

श्री अजीत रायजादा : क्या भाषण दिया, इसकी जानकारी नहीं है।

I would only once again submit that the District Administration had no intention of causing either physical harm or mental torture to the Hon. Member of Parliament. Whatever had happened, happened in the discharge of duties which they thought they had to perform. If inadvertently something had happened which caused unhappiness or injured the feelings of the Hon. Member of Parliament, we deeply regret it.

Thank you.

(The witness then withdrew)

The Committee then adjourned.

Tuesday, 28 June, 1983

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri H. K. L. Bhagat
3. Shri Chandulal Chandrakar
4. Shri George Fernandes
5. Shri Jaipal Singh Kashyap
6. Shri Jagan Nath Kaushal
7. Shri K. Ramamurthy
8. Shri Ramayan Rai
9. Shri P. Shiv Shankar
10. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

Shri K. K. Saxena—*Joint Secretary.*

WITNESS

Shri Babu Lal Jain, Ex-Minister, Government of Madhya Pradesh, Ujjain.

(*The Committee met at* 11.00 *hours*)

Evidence of Shri Babu Lal Jain, ex-Minister, Madhya Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Mr. Babu Lal Jain, you have been requested to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding the alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15th December, 1981.

I hope that you will state the factual position frankly and truthfully to enable this Committee to arrive at a correct finding.

I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence which you will give before the Committee may be reported to the House.

Now you may please take oath or affirmation, as you like.

(*Shri Babu Lal Jain took oath*)

MR. CHAIRMAN: You could give us in brief whatever you know about the facts of this case, especially the conversation that you had with Shri Jatiya on telephone from the police station, or whatever you remember.

श्री बाबू लाल जैन : श्रीमन् यह जो घटना है यह 15 दिसम्बर, 1981 की है। आज करीब डेढ़ वर्ष हो गए हैं। इसलिए अब सारी बातें बिलकुल एग्जेक्टली रिकलेक्ट करना तो संभव नहीं है।

उन दिनों उज्जैन में वहां की दो मिलों के बन्द होने से लम्बा संघर्ष चल रहा था। ये दोनों मिलें बन्द थीं। उसी को लेकर 15 दिसम्बर को उज्जैन बन्द का नारा दिया गया था और काफी बड़ी संख्या में मजदूर अपनी आवाज उठाने के

लिए सड़कों पर निकले थे । उसी दिन जलूस समाप्त हो चुका था और कुछ कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर डिमांस्ट्रेशन करने के लिए गए थे ताकि केन्द्रीय सरकार भी अवगत हो सके । जब यह घटना हुई, मैं उस समय वहां नहीं था । मुझे बाद में यह बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने श्री सत्यनारायण जटिया व उनके साथियों पर हमला किया और घायल अवस्था में उनको जेल ले जाया गया । यह सूचना मुझे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुई और मैंने स्वयं कोशिश की कि माननीय कलेक्टर और एस. पी. महोदय से सम्पर्क किया जाए और स्थिति का पता लगाया जाए । तीन घंटे तक प्रयत्न करने के बाद भी सम्पर्क नहीं हो पाया । करीब साढ़े तीन बजे कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे देवास गेट थाने पर जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, चर्चा करने लिए बुलाया ।

सभापति महोदय : कलेक्टर साहब न ।

श्री बाबू लाल जैन : जी । फिर मैंने अपनी पार्टी को इसकी सूचना दी कि कलक्टर महोदय ने चार बजे का समय दिया है और आप लोग भी आ जायें, कलेक्टर महोदय से चर्चा कर लेंगे । मैं चार बजे अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंचा; वहां एस. पी. महोदय, कलेक्टर महोदय और अन्य अधिकारी थे । मैंने स्वय उनसे पूछा कि क्या कारण था कि आपने उनकी पिटाई की और गिरफ्तार किया, जबकि पूरा जलूस शान्तिपूर्वक समाप्त हो चुका था । उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां पर आन्दोलन किया था और रेल को रोकने का प्रयास किया था । मैंने कहा पिटाई का ऐसा कौन सा कारण बना ? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था । जवाब मुझे लेना उनके लिए जरूरी भी नहीं था क्योंकि मैंने स्वयं कोशिश की थी कि मैं स्वयं पूरी स्थिति देखना चाहूंगा । कोई भी ऐसा कारण नहीं है, शहर में अमन चैन बनाने के लिए दफा–144 लगा दी गई थी । अमन चैन यदि लौटाना चाहते हैं तो उनको रिहा करना चाहिए । कोई कारण नहीं था उनको गिरफ्तार करने का । मुझे जानकारी मिली कि उनको काफी चोटें आई हैं । मैंने कहा– मैं स्वयं उनको देखना चाहूंगा और उनके इलाज की व्यवस्था करना चाहूंगा । शाम का करीब छः सात बजे के करीब मैं स्वय जेल में पहुंचा और मैंने जटिया जी को देखा । वे स्वयं चल नहीं पा रहे थे, साथियों की सहायता से वे फाटक तक लाए गए । उनको रिलीज करने का पहले ही तय हो चुका था । तब मैंने उनसे बात की ।

सभापति महोदय : इसके सिवाय आपकी कोई टेलीफोन पर बात हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : श्रीमन् उन्होंने स्वय दो बार टेलीफोन पर प्रयत्न किया था किन्तु मैं उस समय घर पर नहीं था । जब मैं घर पर पहुंचा तो सूचना मिली कि वे चलने–फिरने में असमर्थ हैं एवं बताया गया कि जहां उनको रखा गया था वह काफी दूरी पर था । टेलीफोन पर बात करना संभव नहीं हो सकता । उसके बाद ही मैंने कलक्टर महोदय, एस० पी० महोदय से कान्ट्रेक्ट करने का प्रयास किया ।

सभापति महोदय : आपकी बातचीत जटिया से हुई या नहीं ?

श्री बाबू लाल जैन : मेरी बात नहीं हुई ।

श्री पी० शिव शंकर : क्या पुलिस स्टेशन पर बातचीत हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : जटिया जी से नहीं हुई ।

श्री जगन्नाथ कौशल : जब आप पुलिस स्टेशन पर गए, तो आपके साथ कौन कौन लोग थे ?

श्री बाबू लाल जैन : श्री डोगरे एडवोकेट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेजीडेन्ट थे और श्री भूरे लाल फिरोजिया एम० एल० ए० गए थे तथा उनके साथ अनेक कार्य कर्ता 20-25 के करीब गए थे ।

श्री पी० शिव शंकर : 15 दिसम्बर, 1981 को पूरे दिन में कभी भी टेलीफोन पर बातचीत नहीं हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : जलूस निकलने के बाद . . . ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं जलूस की बात नहीं कह रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि इस इंसीडेंट होने के बाद उनको जेल ले आया गया । जब वे जेल में थे, उस उस वक्त आपकी कभी भी टेलीफोन पर बात चीत हुई है या नहीं ?

श्री बाबू लाल जैन : जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं जेल ले जाने के बाद नहीं और जब उनको जेल से छोड़ा जा रहा था, तब मेरी उनसे बातचीत हुई थी ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप किस पार्टी का बिलांग करते हैं ?

श्री बाबू लाल जैन : भारतीय जनता पार्टी ।

श्री जगन्नाथ कौशल : श्री सत्यानारायण जटिया ?

श्री बाबू लाल जैन : जटिया जी भी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं और बी० जे० पी० के संसद सदस्य हैं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपने और आपके साथियों ने जिनका आपने नाम लिया, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या दूसरी डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को एश्योर कराया था कि आप जटिया जी को छोड़ दीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी ?

श्री बाबू लाल जैन : श्रीमन् जिम्मेदारी का सवाल ही नहीं उठता है, हम शान्ति में विश्वास करते हैं । कोई गड़बड़ का प्रश्न ही नहीं था ।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह आप थियोरैटिकल बात कर रहे हैं । मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या आपने डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज को एश्योर कराया था कि आप जटिया जी को छोड़ दीजिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी ?

श्री बाबू लाल जैन : श्रीमन्, जटिया जी स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हैं । मैंने कलक्टर और एस० पी० महोदय से चर्चा की थी और उनसे निवेदन किया था कि यदि जटिया जी को जेल में रखा तो असंतोष ज्यादा फैलेगा । कोई कारण नहीं है कि हम असंतोष फैलायें ।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या जटिया जी ने आपसे यह बात कही थी कि अगर एस० पी० इन्टरवीन न करता तो मुझे ज्यादा चोटें आतीं ?

श्री बाबू लाल जैन : जी, ऐसी कोई बात नहीं कही ।

श्री जगन्नाथ कौशल : न ऐसी कोई बात आमने-सामने हुई और न ऐसी कोई बात टेलीफोन पर हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : जैसा कि मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि मेरी जटिया जी से टेलीफोन पर चर्चा नहीं हुई । उनके जेल से निकलने के बाद ही मैंने उनसे पूछा कि आपको कहां-कहां चोटें आई हैं । किस प्रकार यह सारा मामला हुआ ?

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या जटिया जी ने आपको यह बात कही कि अगर एस०पी० इन्टरवीन नहीं करता तो मुझे ज्यादा चोटें आती ?

श्री बाबू लाल जैन : श्रीमन्, मुझे याद नहीं है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपको याद नहीं है ।

श्री पी० शिव शंकर : उस दिन चोट वगैरह खाने के बाद या 15 तारीख को कितने बजे आपकी जटिया जी से मुलाकात हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : शाम को छः सात बजे के करीब ।

श्री पी० शिवशंकर : पूरे दिन में कभी भी मुलाकात नहीं हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : जलूस बारह या साढ़े बारह बजे समाप्त हो गया होगा, टाइम का एग्जैक्ट मुझे ख्याल नहीं है । गिरफ्तारी के पश्चात् और जब उन को रिहा किया जा रहा था, इस बीच में मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई ?

श्री पी० शिव शंकर : ता० 15 को सुबह से शाम तक जटिया जी से आप की कब मुलाकात हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : हम लोग जुलूस में साथ थे ।

श्री पी० शिवशंकर : उस के बाद क्या हुआ, आप कैसे अलग हुए ?

श्री बाबू लाल जैन : हमारा जलूस घंटाघर पर पहुंच चुका था, उस के बाद मैं घर चला गया ।

श्री पी० शिव शंकर : उस के बाद क्या हुआ ? क्या आप को मालूम नहीं है ?

श्री बाबू लाल जैन : मुझे करीब 1 बजे अन्य कार्यकर्ताओं से पता लगा कि जटिया जी तथा चार-पांच अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह भी बतलाया कि उन को चोटें आई हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : यह बात किस ने कही ?

श्री बाबू लाल जैन : मेरे पार्टी वर्कर्स ने और उसी आधार पर मैंने जटिया जी को जेल में कान्टेक्ट करने की कोशिश की ।

श्री पी० शिव शंकर : यह इत्तिला आप को कब मिली ।

श्री बाबू लाल जैन : 1 बजे ।

श्री पी० शिव शंकर : उस के बाद उन से मुलाकात की कोशिश की ?

श्री बाबू लाल जैन : 6 बजे के बाद हुई थी ।

श्री पी० शिव शंकर : आप ने उन से पूछा होगा कि यह सब कैसे हुआ ? इस बीच में आप ने और लोगों से भी पता लगाने की चेष्टा की होगी ?

श्री बाबू लाल जैन : मैंने एस० पी० और कलैक्टर से पता लगाने की कोशिश की थी ।

श्री पी० शिव शंकर : आप को क्या मालूम हुआ ?

श्री बाबू लाल जैन : जितना मुझे याद आता है, उन्होंने यह बतलाया कि वह लोग रेलवे स्टेशन पर एक प्रकार का धरना देने जा रहे थे ताकि उस के द्वारा केन्द्रीय सरकार को समस्या की जानकारी हो सके । यह एक तरह से टोकन-प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट करने के बाद यह लोग लौट रहे थे, उस वक्त यह घटना हुई ।

श्री पी० शिव शंकर : क्या घटाना हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : पुलिस ने वहां पर जटिया जी, संसद सदस्य महोदय, तथा उन के साथ जो लोग थे उन को पीटा ।

श्री पी० शिव शंकर : कहां पर ?

श्री बाबू लाल जैन : रेलवे स्टेशन पर ।

श्री पी० शिव शंकर : आप ने इस के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई ?

श्री बाबू लाल जैन : मैंने निवेदन किया था कि मैं लगातार कलक्टर एवं एस० पी० को कांटैक्ट करने की कोशिश करता रहा । तीन-साढ़े तीन बजे दोनों से कांटैक्ट हुआ ? उन्होंने कहा कि आधे घन्टे में थाने में पहुंचता हूं, वहीं सारी बात बतला दूंगा और आप की बात सुन लूंगा उस के बाद आगे के लिये तय करेंगे ।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक आप की बात सुनने का सवाल है, आप तो कहते हैं कि आप वहां थे ही नहीं ? यह बतलाइये—आप का पेशा क्या है ?

श्री बाबू लाल जैन : मैं व्यवसायी हूं, दवाइयों का व्यवसाय है ।

श्री पी० शिव शंकर : क्या आप ने या आप के वर्कर्स ने चेष्टा की कि जो मारपीट हुई उस की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाय ।

श्री बाबू लाल जैन : मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से उस पूरे सभा का आर्वेनाइजिंग-सैक्रेटरी हूं । जब कोई घटना होती है और मैं शहर में हूं तो मेरे कार्यकर्ता मुझे ही कहेंगे । चूंकि जटिया जी पर हमला हुआ था, इस लिये मुझे बतलाना उन का फर्ज है और उन की चिन्ता लेना मेरा फर्ज है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आप ने बतलाया कि घन्टाघर के पास आप की संघर्ष समिति के वालंटियर्स इकट्ठे हुए थे, मैं जानना चाहता हूं वहां कितनी देर तक आप की मीटिंग चली ? कोई मीटिंग हुई या आप का क्या प्रोग्राम था ?

श्री बाबू लाल जैन : मीटिंग में आम तौर पर उस बन्द में जिन लोगों ने सहयोग दिया उन का धन्यवाद दिया गया । उस में जटिया जी ने यह एशोरेंस दी कि सारे मामले को माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के सामने और लोक सभा के माध्यम से उठायेंगे तथा इस बात को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे । इस आश्वासन के साथ वह जुलूस और सभा समाप्त हो गई ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : वह कितनी देर तक चली ?

श्री बाबू लाल जैन : 15–20 मिनट ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या उस के बाद लोग डिस्पर्स हो गये ?

श्री बाबू लाल जैन : जी हां, लोग डिस्पर्स हो गये ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उस के बाद कोई जुलूस या मीटिंग हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : उस के बाद कोई जुलूस नहीं रहा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : क्या आप ने पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से यह बात कही कि मेरी जटिया जी से टेलीफोन पर बात हुई है, जब कि जटिया जी जेल में थे, और उन्होंने यह कहा हैं कि अगर सुप्रीन्टेडेन्ट आफ़ पुलिस न होते तो मुझे और बहुत ज्यादा चोटें आती ?

श्री बाबू लाल जैन : जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप की ऐसी कोई बात नहीं हुई ?

श्री बाबू लाल जैन : न उन से कोई चर्चा हुई और न ऐसा कहा है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : आप ने किसी भी अधिकारी को—डी० एम०, एस० पी०, एस० एच० ओ०, किसी को ऐसा नहीं कहा ?

श्री बाबू लाल जैन : नहीं कहा ।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप जा सकते हैं ।

(तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चला गया)

Friday, 8 July, 1983

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Somnath Chatterjee
4. Shri Jaipal Singh Kashyap
5. Shri Y. S. Mahajan
6. Shri K. Ramamurthy

SECRETARIAT

Shri K. K. Saxena—*Joint Secretary*

WITNESSES

Shri Arun Jain,
Local representative of 'Nai Duniya' at Ujjain.

(*The Committee met at 11.00 hours*)

Evidence of Shri Arun Jain, Local Representative of Nai Duniya

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Jain, you have been requested to appear before this Committee to give your evidence in connection with the question of privilege regarding alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., and use of abusive remarks against him by the police at Ujjain on 15th December, 1981.

I hope that you will state the factual position frankly and truthfully to enable this Committee to arrive at a correct finding.

I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated by you as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence, which you will give before the Committee, may be reported to the House.

Now you may please take oath or affirmation as you like.

SHRI ARUN JAIN: I, Arun Jain, swear in the name of God that the evidence which I shall give in this case shall be true, that I will conceal nothing and that no part of my evidence shall be false.

MR. CHAIRMAN: Now, kindly tell us what you know about this incident regarding the Member of Parliament, Mr. Satyanarayan Jatiya on that day when you were representing probably your newspaper—*Nai Duniya*?

SHRI ARUN JAIN: On 15th December, we had come back from the round of the City covering the *Jaloos* etc., where there were some other newspapermen also. And then I came back home. Just after some time I got a phone call that there was some *Jaloos* in the Railway Station and there was some *Garbar* there, I took my scooter and went to the Railway Station. When I entered the Railway Station and was going to the Railway Police Thana, I saw Mr. Jatiya was being carried out by some policemen.

MR. CHAIRMAN: Where did you see this?

SHRI ARUN JAIN: Just near the Railway Police Station. It is inside the Railway Station, near the Railway Platform No. 1.

MR. CHAIRMAN: You went to the Railway Platform No. 1 near the Police Station and found Jatiya Ji was being taken by the Police.

SHRI ARUN JAIN: Then I went to the Police Station inside. There was the Collector and the S.P. standing there. Then I enquired from them what had happened. They said that these persons had come in the Station and they were trying to stop the Indore-Bhopal train, which was to leave. . .

SHRI Y. S. MAHAJAN: Was there a Rail Roko Agitation?

SHRI ARUN JAIN: This was told to me by the Collector.

MR. CHAIRMAN: You have not witnessed it?

SHRI ARUN JAIN: No. When I reached there everybody had dispersed and everything was over. Only Mr. Jatiya was being taken out and the Collector and the SP and some policemen were there.

MR. CHAIRMAN: Did you see any stoning by the crowd?

SHRI ARUN JAIN: No, Sir. They gave me this summary that they were trying to stop the train. That is why we have arrested them. Then I came out of the platform and Jatiya Ji was being taken in a Jeep. There I asked him what had happened. This is as usual that we enquire from the Administration and from others also. Mr. Jatiya said: "The Collector and the S.P. had ordered Lathi Charge and they had beaten some persons and me also, and I have asked for a Judicial Inquiry." This is the statement I have given in my newspaper also.

MR. CHAIRMAN: Your paper is a daily paper?

SHRI ARUN JAIN: It is a daily paper and is the only leading newspaper in Hindi from Madhya Pradesh.

Since I was having only one record copy there, I have got the photo copy of the news which I have published.

MR. CHAIRMAN: Have you got a copy of this?

SHRI ARUN JAIN: No, I have not taken that copy, because we are having only one copy in the record. I have got the photo-copy.

SHRI K. RAMAMURTHY: I want to know whether you are keeping the photo-copy of the full newspaper or the cutting.

SHRI ARUN JAIN: Only the portion which I had published.

MR. CHAIRMAN: This is an extract.

This is the news which you gave after you saw all these things.

SHRI ARUN JAIN: When I came back from the railway station, I got a message from the Deputy Director, Publicity, that the Collector was addressing a Press Conference. At about 1 P.M. or 1.30 P.M. we went there. Whatever version the Collector gave, I had published it.

SHRI K. RAMAMURTHY: When you started giving evidence, you said that you had received a telephonic call about the agitation in the railway station. But now you are telling that you had received a telephonic call in regard to the Collector's Press Conference. Which is correct?

SHRI ARUN JAIN: This was a later development when I came back from the railway station.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आप यह बतलाइए कि जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो जटिया साहब कस्टडी में थे और उन के साथ और भी जो एजीटेटर्स थे, वे भी कस्टडी में थे ?

श्री अरुण जैन : कस्टडी में उस वक्त केवल जटिया साहब थे ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : कुछ और लोग भी वहां दिखाई दे रहे थे ?

श्री अरुण जैन : 5–7 लोग और भी थे ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : पुलिस स्टेशन के अन्दर थे या बाहर थे ?

श्री अरुण जैन : पुलिस स्टेशन के बाहर थे ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जटिया साहब के लोग थे या दर्शक थे ?

श्री अरुण जैन : कुछ लोग थे । इनमें से थे या दर्शक थे, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आपको इस घटना की सही जानकारी मिली या नहीं ?

श्री अरुण जैन : घटना की सही जानकारी के लिए तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर ट्रस्ट करना पड़ता है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : कौन से फैक्ट्स सही हैं, यह जानकारी आपको मिली या नही ?

श्री अरुण जैन : हमें दोनों वर्शन्स मिले और वही हम ने दिये ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I believe that you had already told the honourable Chairman that you had not witnessed any incident.

SHRI ARUN JAIN: Yes, Sir.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: When you reached the railway station, whatever had taken place, was over. Now, if somebody says that you were a witness to stone-throwing or deliberate violation of law by Shri Jatiya or you yourself had been throwing when some policemen were injured, that would not be a correct statement.

SHRI ARUN JAIN: No.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Did any police authority from the Madhya Pradesh Government approach you regarding preparation of a statement for submission before the Parliament?

SHRI ARUN JAIN: Till today no.

SHRI Y. S. MAHAJAN: When did they arrest?

SHRI ARUN JAIN: At that time, he did not give me the total number of people arrested. They said, "I will tell you the exact number in the Press Conference."

SHRI Y. S. MAHAJAN: How many people were arrested?

SHRI ARUN JAIN: I was told in the Press Conference that five people including Mr. Jatiya were arrested.

SHRI Y. S. MAHAJAN: Did you see the other four people?

SHRI ARUN JAIN: I cannot recognise them.

SHRI K. RAMAMURTHY: Did you find any injury in the body of Mr. Jatiya when you saw him sitting outside the police station?

SHRI ARUN JAIN: No.

SHRI K. RAMAMURTHY: You did not find any visible injury in his body.

SHRI ARUN JAIN: No. He was somewhat limping.

SHRI K. RAMAMURTHY: Did you not enquire from him why was he limping?

SHRI ARUN JAIN: When I asked him about it, he said, "Police made a lathi charge."

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: In December 1981, was there any other local representative of *Nai Duniya* by the name Arun Jain, apart from yourself?

SHRI ARUN JAIN: No.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandrakar, before you came, as you remember, last time, we decided that he should be summoned before the Committee. He is good enough to come at short notice. He said, for the first time, he went to the railway police station on Platform No. 1. At that time, Mr. Jatiya was being taken in a jeep and DM and DSP were there. He said that he had neither seen stones throwing by the crowd nor the incident nor the beating up, etc. Then he mentioned about the Press Conference. Whatever he had been told about him in the Press Conference he had given that in the newspaper

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आप को कितने ही साल रिपोर्टिंग करते हुए हो गये हैं। आपने बताया है कि आन दि स्पोट आप ने देखा नहीं और जो प्रेस कान्फेंस में मालूम हुआ या जो आप ने सुना है, वह आप ने पेपर में लिखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जटिया साहब के साथ कहां पर और किस तरह की ज्यादती हुई है, इस की निजी तौर पर आप को जानकारी है या नहीं ?

श्री अरुण जैन : निजी तौर पर बातचीत से जो पता लगा है, वह मैंने बताया है। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया और डंडे मारे उन को और दूसरे

लोगों को भी। यह जानकारी मुझे मिली थी लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स जानने के लिए और कोई हमारे पास सोर्स नहीं है ।

We can get information either from the administration or from the person concerned. That is the only way to get information.

श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर : अखबार वाले तो इन्वेस्टीगेटिंग रिपोर्ट काफी डिटेल्स में करते हैं चाहे घटना के बारे में मालूम हो या न हो लेकिन कई जगहों पर जा कर और कई सूत्रों से, कई सोर्सेज से वे पता करते हैं । आप तो एक बहुत ही उत्तरदायित्व पत्र के बहुत अच्छे और उत्तरदायी संवाददाता हैं । इसलिए स्वाभाविक है कि डिटेल्स का पता लगाने के लिए आप घटनास्थल पर या और कहीं गये होंगे, जिन को आप ने अपने पत्र में नही लिखा है । वे डिटेल्स क्या हैं और सच्चाई क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

क्या आप ऐसी कोई बात बता सकते हैं जिससे समिति को सही जानकारी मिल सके । एक उत्तरदायी पत्रकार की हैसियत से आप समिति की कुछ मदद कर सकते हैं ऐसी हमारी आशा थी ।

श्री अरुण जैन : अखबार ज्वाइन करने के बाद मुझे शुरू से यही शिक्षा दी गई कि इन्वेस्टीगेटिंग रिपोर्टिंग को महत्व न दिया जाए । शुरू से ही मुझे इस प्रकार का परामर्श दिया गया है जो फैक्ट्स हों और लोगों के वरशन हों वही दिए जाएं । हमारे यहां शुरू से ही इन्वेस्टीगेटिंग रिपोर्टिंग को पसंद नही किया जाता ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : हमें तो आपसे बड़ी उम्मीद थी कि एक अच्छे पत्र के उत्तरदायी पत्रकार के नाते आप जो जानकारी देंगे वह कमेटी के लिए लाभदायक होगी। आपने जिस ढंग से बताया है, उससे कोई नई चीज प्रकाश में नही आई है ।

श्री अरुण जैन : नई चीज होगी तभी तो बताऊंगा ।

MR. CHAIRMAN: Does your paper *'Nai Duniya'* represent the views of any political party?

श्री अरुण जैन : ऐसा कुछ नहीं है, इन्डिपेंडेंट है ।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

(The witness then withdrew)

Tuesday, 17 April, 1984

PRESENT

Shri R. R. Bhole—*Chairman*

MEMBERS

2. Shri Chandulal Chandrakar
3. Shri Somnath Chatterjee

4. Shri Indrajit Gupta
5. Shri Jaipal Singh Kashyap
6. Shri Jagan Nath Kaushal
7. Shri Y. S. Mahajan
8. Shri Ramayan Rai
9. Shri Zainul Basher

SECRETARIAT

(1) Shri M. P. Gupta—*Chief Examiner of Bills and Resolutions*

(2) Shri T. S. Ahluwalia—*Senior Table Officer*

WITNESS

Shri H. P. Singh,
the then Superintendent of Police,
Ujjain and now Deputy Transport
Commissioner, Gwalior.

(*The Committee met at* 14.30 *hours*)

Evidence of Shri H. P. Singh, the then Superintendent of Police and presently Deputy Transport Commissioner, Gwalior.

MR. CHAIRMAN: Shri H. P Singh, the Committee of Privileges have carefully gone through the evidence and other documents produced before the Committee and are not convinced by the evidence given by you before the Committee.

The Committee note that you have denied the allegations made by Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., that you caught hold of both his hands and ordered the policemen to lathi-charge him. You, however, conceded before the Committee that Shri Jatiya might have been hit once or twice by the police constables who were chasing the crowd with batons in their hands.

Shri Jatiya also alleged that you had used abusive language, shouted at him in a very insulting tone and said, "Badmash, Goonde Kaheen ke. Netagiri Karta hai, teri netagiri abhi thikaney laga deta hoon. Kaminey, Harijan Kahin ke, Sansad Sadasya ban gaya to apni aukat bhool gaya". This allegation has been denied by you but the Committee finds no reason why Shri Jatiya should have made this allegation against you without any basis.

The Committee notes that the position stated in the factual note furnished by the Government of Madhya Pradesh had been contradicted before the Committee by Shri Babu Lal Jain, ex-Minister

of Madhya Pradesh and Shri Arun Jain, local representative of *Nai Duniya*, whose names had been cited in the factual note in support of the position stated therein.

Probably, you remember that the Government, when asked to give an explanation before we deliberate, said that they have got the same story which you have given, and the note says that Shri Babu Lal Jain and Shri Arun Jain will support your story. But when they appeared before this Committee, they did not support the story at all.

The Committee, after careful consideration of the evidence and other documents, have come to the conclusion that Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., was assaulted and beaten by the policemen under your orders on 15 December, 1981, at Ujjain Railway Station. Further, you had also used abusive language in respect of Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., which was highly derogatory to a Member of Parliament.

Before proceeding to deliberate further in the matter, the Committee would like to give you another opportunity to have your say in the matter, in view of the above findings of the Committee.

Have you got anything else to say after what I have stated?

SHRI H. P. SINGH: I do not have to say anything. I have already stated earlier.

MR. CHAIRMAN: I have just now said that the Committee has come to the conclusion that the Member of Parliament in question was assaulted under your orders by the police, and as a result of it he was beaten. I have also mentioned that the Committee did not believe what you say, namely that you have not abused Shri Jatiya at all. We believe that what Shri Jatiya has said, namely, that you have badly abused him about which I have mentioned and I have also mentioned that after careful consideration we have come to the conclusion that you have used abusive language and that he was beaten up at the Railway Station by the Police.

SHRI H. P. SINGH: In view of the finding of the Committee, I express my sincere regrets and tender unconditional and unqualified apology for lapses on my part.

MR. CHAIRMAN: Thank you. You can go.

(The witness then withdrew)

The Committee then adjourned.

APPENDIX

APPENDIX

(*See* paras 17 and 18 of the Report)

Copy of the factual note on the incident of assault on Shri Satyanarayan Jatiya, M.P., on 15 December, 1981 at Railway Station, Ujjain, furnished by the Government of Madhya Pradesh through the Ministry of Home Affairs.

A bundh call was given by the Joint Action Committee (AITUC, CITU and BMS) for the 15 December, 1981 in protest against lay off in local Vinod and Vimal Mills.] It was planned to have a bundh from 6 A.M. to 6 P.M. in the town. The District authorities ordered closure of all educational institutions as a precautionary measure for the day. The crowd started collecting in front of Indore Mill Gate and a procession of about 4,000 started, attempted closure of Hira Mill and forced the labour working to join the procession. It also tried to stop a bus carrying labour and stoned the same. There was sporadic stone pelting at various places in the town and the M.P. State Road Transport Corporation Buses and Dairy Development Corporation Milk Vans were stoned. Cinema Halls and Hospitals were also not spared. The procession culminated in a public meeting, which was addressed by Shri Satyanarayan Jatiya, Member of Parliament who incited the people to go in batches to get the remaining shops closed. The public meeting ended but Shri Jatiya without any prior programme of the action committee collected some students of Vidyarthi Parishad (BJP) and went to the Railway Station. They lay down before Indore-Nagda and Ratlam-Bhopal trains. The District Magistrate and Superintendent of Police rushed to the Railway Station with necessary force but were subjected to stone pelting. Some students of Vidyarthi Parishad spread a rumour that Shri Jatiya was being beaten up by police, which led to the dispersing crowd of public meeting to reach Railway Station again and a very heavy stone pelting started. The crowd of about 2000 was asked to disperse. In the meantime Shri Jatiya while climbing on the platform from the Railway Track fell down and sustained injuries on his leg. Shri Jatiya was requested by the Superintendent of Police to disperse and return by the same route as he had entered the railway premises but Shri Jatiya was not amenable to any reasoning. The crowd went on stoning with the result that Platoon Commander, Nanku Singh, Head Constable

Dulare Singh and Barelal received serious injuries. This was witnessed by the *Nai Duniya* local representative, Shri Arun Jain. Head Constable Dulare Singh had to be rushed to the Hospital. The policemen tried to apprehend Shri Jatiya but he grappled with them and in the process, falling on the platform and throwing his limbs about, Shri Jatiya caused himself minor injuries. With great difficulty, he was conducted to the District Jail. On the way he did mention to the A.D.M. Shri Mahadik that he was only staging a drama to attract attention to himself and to his Political Party. Stone pelting went on causing damage to Fire Brigade Van and injuries to employees. Apart from one Town Inspector, two Sub-Inspectors and one Head Constable, several Constables were injured. Several anti-social elements were arrested for violation of Section 144 Cr P.C . Thereafter senior leaders of BJP like ex-Minister Shri Babulal Jain, President Shri Dongre MLA Shri Babulal Firoziya etc. came to the Police Station and requested for the release of Shri Jatiya, M.P. assuring that they would maintain peace, would not hold any public meeting or take out procession. Yet immediately on his release, Shri Jatiya addressed a public meeting in Budhvaria Bazar and again incited people to violence. Shri Jatiya also declared that he would come to Bhopal on 17th and would be carried on stretcher to meet the Hon'ble Speaker, Lok Sabha—Shri Jakhar during the visit to Bhopal to dramatise the alleged excesses of police. Shri Babulal Jain, ex-Minister, had at the Police Station disclosed that during his talk on telephone with Shri Jatiya while in Jail, Shri Jatiya had confessed to him that but for the Superintendent of Police's intervention, he would have received more serious injuries, during his attempted scuffle with the Police. This confirms that there was no murderous assault by Police on Shri Jatiya and that while Shri Jatiya was deliberately trying to entangle himself in a scuffle with Police, the Superintendent of Police intervened and prevented it. The District Magistrate and the Superintendent of Police acted with exemplary restraint, which helped in diffusing the situation. Thus five injuries caused to Shri Jatiya were due to his own acts. Injuries as examined by the Medical Officer immediately after the incident comprise of 4 superficial confusions, one each on left leg vertex of head right had below little finger right thigh and one abrasion on right knee joint. As such there was neither any murderous assault on Shri Jatiya by police nor by Superintendent of Police or the Magistracy. Whatever simple injuries were sustained by Shri Jatiya were as a result of his own doing.

© 1984 BY LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rule 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.